

जो नगाओं को दिया वही कश्मीरियों को दीजिए



नगा समझौते का बहु-प्रचार कर केंद्र की भाजपा सरकार खुद ही कई सवालों में घिर गई है। आम नागरिकों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि नगा समझौते के लिए अति-उत्साहित पहल करने वाली केंद्र सरकार कश्मीरियों की वाजिब मांगों भी सुनने को तैयार क्यों नहीं होती? अब तो 'चौथी दुनिया' ने 05 जून से 11 जून के अंक में यह उजागर कर दिया है कि नगा समझौते में केंद्र सरकार ने कहा-कहां और किन-किन शर्तों पर एनएससीएन प्रमुख थुइंगलैंग मुइवा के आगे घुटने टेके। केंद्र सरकार नगालैंड के एक आतंकी संगठन से समझौता कर लेती है, लेकिन कश्मीर में अलगाववादी संगठन से बात भी नहीं करना चाहती। यह दोतरफा व्यवहार क्यों? कश्मीर के अलगाववादी राष्ट्रवादी नहीं, तो क्या नगालैंड के उग्रवादी राष्ट्रवादी हैं? इन सवालों का जवाब केंद्र को देना ही होगा, आज नहीं तो कल...



हारून रेशी

अगर नगा विवाद खत्म करने के लिए एक संगठन की शर्तों पर समझौता हो सकता है, तो कश्मीर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगस्त 2015 को केंद्र सरकार ने मुख्य वार्ताकार आरएन रवि की अध्यक्षता में आतंकी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के प्रमुख थुइंगलैंग मुइवा के साथ एकतरफा समझौता कर लिया। जबकि जुलाई 2016 में जब कश्मीर घाटी में हिंसा भड़की थी तभी वार्ताकार दिलीप पडगांवकर ने कहा था कि यदि सरकार ने वार्ताकारों की सिफारिशों पर अमल किया होता, तो कश्मीर को ये दिन नहीं देखने पड़ते। साल 2010 में ही जब घाटी की स्थिति तनावपूर्ण हुई और सेना के हाथों कई हज़ारों सैन्य 120 लोग मारे गए थे, तब केंद्र सरकार ने स्थिति की समीक्षा के लिए और कश्मीर का हल तलाशने के लिए एक टीम गठित की थी। इस टीम में वरिष्ठ पत्रकार (अब महसूम) दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद् प्रोफेसर राधा कुमारी और पूर्व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी आदि शामिल थे। इस टीम ने दो वर्षों में कई बार जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और अलग-अलग विचारधारा से सम्बन्धित छोटे-बड़े पांच हज़ार लोगों से मुलाकात की थी। इसके बाद टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कश्मीर मसले को हल करने और यहां के हालात को ठीक करने की सिफारिशें थीं। ये रिपोर्ट इस समय गृह मंत्रालय में किसी ताक पर धूल चाट रही है। विश्लेषक हेरान हैं कि कश्मीर में हालात इस कदर खराब होने के बावजूद, मोदी सरकार पूर्व सरकारी व गैर सरकारी वार्ताकारों की रिपोर्ट्स के अनुसार कोई कदम क्यों नहीं उठाती। या फिर यहां वार्ता का मिलसिला क्यों नहीं शुरू करती। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर मोदी सरकार नगा विवाद खत्म करने के लिए एक गैर मामूली समझौता कर सकती है, जिसमें वृहत्तर नगालैंड के लिए अलग संविधान, अलग न्यायपालिका, अलग झंडा, अलग मुद्रा, अलग पासपोर्ट यहां तक कि अलग सेना जैसी अभूतपूर्व मांगों को स्वीकार



कश्मीर में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए या गैर सरकारी वार्ताकारों की सूची लम्बी है। इन्होंने 1990 से अब तक समय-समय पर यहां के हालात की समीक्षा करने के बाद किसी सकारात्मक पहल के लिए केंद्र सरकार से विभिन्न सिफारिशें पेश कीं। इन वार्ताकारों में केसी पंत से लेकर एन एन वोहरा (जम्मू-कश्मीर के मौजूदा गवर्नर) और राम जेठमलानी तक कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई अलग-अलग विचारधारा के लोगों ने अपने स्तर से भी कश्मीर की स्थिति को समझकर, इसके समाधान के लिए सरकार से सिफारिश की।

किया गया है, तो फिर कश्मीर के बारे में दोहरा मापदंड क्यों? कश्मीर देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां देश की आजादी के 17 साल बाद यानि 1964 तक अपना प्रधानमंत्री था। यहां गवर्नर नहीं बल्कि सदर-ए-रियासत हुआ करता था। जम्मू-कश्मीर के पास आज भी अपना संविधान है। जम्मू-कश्मीर एकमात्र प्रदेश है, जिसका आज भी अपना झंडा है। कुछ दशक पहले तक जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यहां भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां अपनी यूनिट तक नहीं खोल सकती थीं।


ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां आज भी कोई भारतीय नागरिक जमीन या कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां के लोगों को आज भी दोहरी नागरिकता, यानि जम्मू-कश्मीर की नागरिकता और भारतीय नागरिकता हासिल है। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं, जिनसे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों से अलग है। हकीकत ये है कि इस प्रदेश ने भारत के साथ विलय किया है। ये महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश की तरह आम प्रदेश नहीं है। फिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार इस रियासत के हालात को ठीक करने के लिए गैर मामूली कदम नहीं उठाती। जब से ये खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने नार्थ ईस्ट

का विवाद खत्म करने के लिए परंपरा से हट कर एक गैर मामूली समझौता किया है, देश भर में कुछ गंभीर सोच रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि कश्मीर में इस तरह का समझौता करने में क्या परेशानी है?

कश्मीर में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए या गैर सरकारी वार्ताकारों की सूची लम्बी है। इन्होंने 1990 से अब तक समय-समय पर यहां के हालात की समीक्षा करने के बाद किसी सकारात्मक पहल के लिए केंद्र सरकार से विभिन्न सिफारिशें पेश कीं। इन वार्ताकारों में केसी पंत से लेकर एन एन वोहरा (जम्मू-कश्मीर के मौजूदा गवर्नर) और राम जेठमलानी तक कई प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई अलग-अलग विचारधारा के लोगों ने अपने स्तर से भी कश्मीर की स्थिति को समझकर, इसके समाधान के लिए सरकार से सिफारिश की। ऐसे लोगों में वजाहत हबीबुल्ला, कुलदीप नैयर, बलराज पुरी, एमजे अकबर, शान्ति भूषण और वीके प्रोवर जैसे लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, 2007 में यूपीए सरकार ने कश्मीर में पांच वरिष्ठ गुपु बनाए थे, जिनमें एक ग्रुप जस्टिस सर्गिर की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस ग्रुप को अपने रिपोर्ट्स और सिफारिशों के जरिए प्रदेश और केंद्र के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जस्टिस सर्गिर ने अपनी सिफारिशें पेश कीं, लेकिन उन्हें भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पिछले एक साल के दौरान यशवंत सिन्हा, मणिशंकर अय्यर और कमल मोरारका जैसी शक्तिशाली नेतृत्व में यहां कई गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल आए। इन्होंने यहां के हालात की समीक्षा करने और लोगों से बातचीत करने के बाद केंद्र को कश्मीरियों से वार्तालाप स्थापित करने की सलाह दी। विनोद शर्मा, संतोष भारतीय और सीमा मुस्तफा जैसे पत्रकारों ने भी पिछले एक साल के दौरान कई बार कश्मीर के दौर किए। यहां के हालात को इन्होंने अपने लेखों में ईमानदारी के साथ बयां किया और भारत सरकार को कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी। लेकिन सरकार ने इनमें से किसी भी सलाह को गौर करने लायक नहीं समझा। नतीजतन हर गुजरने वाले दिन के साथ कश्मीर में हालात वद से बदतर होते जा रहे हैं।

(जेपी पृष्ठ 2 पर)

3 बेजान कानूनों के सहारे बेजुबान



4 गलतियों से सीख रही है भाजपा



5 दफन हो रहे इंसान पल्ला झाड़त साहेबान



6 देश के किसान क्यों निराश हैं



“

गौधन पर सियासत चरम पर है. पशु बिक्री पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना आते ही कई राज्य सरकारों ने आस्तीनें चढा ली हैं. अब सरकार बैक फुट पर है और अधिसूचना में संशोधन के लिए तैयार है. इन बेजान कानूनों की आड़ में बेजुबान पशुओं व पशुपालकों की फरियाद कहीं दबकर रह गई है.

”

बेजान कानूनों के सहारे बेजुबान

चंदन राय

राजस्थान के बाड़मेर जिले में 11 जून को तमिलनाडु के कुछ पशुपालन अधिकारियों को 50 गौरांशकों ने घेर लिया. तमिलनाडु के ये अधिकारी जैसलमेर से थापरकर नराल की गावों को खरीदकर बेहतर ब्रीडिंग के लिए ले जा रहे थे. 5 ट्रकों में 50 गाएँ व 30 बछड़े लदे थे. ट्रकों पर बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट लिखा था ऑन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, सभी जरूरी कागजात और परमिशन लेटर दिखाए गए, पर गौरांशकों को भला इसकी परवाह कहां थी. उन्होंने अधिकारियों को जमकर पीटा और ट्रकों में आग लगा दी. पुलिस के आने के बाद किसी तरह अधिकारी जान बचाकर भागे. गौरांशकों के हमलों को अगर गौर से देखें तो उनमें एक स्पष्ट पैटर्न भी आता है. अक्सर दलित और एक खास समुदाय के लोग ही उनके निगाने पर होते हैं, अपवादस्वरूप अर वणिगं कुछ ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं. खवाल ये है कि मानसिक गुलामों को इन गौरकानूनी कृत्यों के लिए ताकत कहां से मिलती है.

पशु क़रता अधिनियम 1960 में केंद्र सरकार ने हाल में पशु बिक्री के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं. अब पशुपालकों को अपने मवेशियों को बाजार में बेचने से पहले यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वे मवेशियों को मांस कारोबार के लिए नहीं बेच रहे हैं. इतना ही नहीं, मवेशी भी केवल उन्हीं लोगों को बेचे जाएंगे, जो दस्तावेजी साक्ष्य दिखाकर यह साबित कर सकेंगे कि वे किसान हैं. इस अधिसूचना के आते ही कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया. विरोध की यह आग उन राज्यों में भी भड़क उठी, जहां हाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा सरकार के लिए बुरी खबर यह थी कि विरोध करने वाले अधिकतर राज्यों में बीफ बैन नहीं है. इन राज्यों में सत्ताधारी दलों ने बीफ बैन को अपने फूड कल्चर पर हमले के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया. एक तरफ भाजपा का गो प्रेम और दूसरी तरफ इन राज्यों में चुनाव जीतने की उत्कट इच्छा के बीच टकराव ने सरकार को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए मजबूर किया. यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों, गोवा, केरल और पश्चिम बंगाल में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता अब बीफ बैन के विरोध में खड़े दिख रहे हैं. कह सकते हैं कि बीफ बैन पर विपक्ष के हमलावर तेवर ने सरकार के लिए दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी है. गौरांशकों का भगवा प्रेम अब फीका पड़ने लगा है.

सियासी चाल पर भारी गौ चाल

बीफ बैन पर विपक्ष के हमलावर तेवर झेल रही भाजपा को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले ने भी जबरदस्त पटखनी दी है. मद्रास हाईकोर्ट की मद्रौ पीठ ने पशु बिक्री के नए नियमों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इधर, मेघालय सरकार ने भी पशुओं के खरीद-फरोख के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया है. मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा कि केंद्र का यह नोटिफिकेशन नॉर्थ-ईस्ट के खिलाफ है. मेघालय की 80 फीसद आबादी ईसाई है, जहां 89 फीसद लोग बीफ खाते हैं. मेघालय में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा को नॉर्थ-ईस्ट या बीफ खाने वाले राज्यों में आगामी चुनाव जीतने के लिए अलग रणनीति अपनानी पड़ रही है. वहीं भाजपा की इस दोहरी चाल को बेनकाब करने के लिए विपक्षी भी मैदान में खम टोके हैं. केरल के मुख्यमंत्री पिनरैय विजयन ने कहा कि सरकार लोगों के खाने की चीजें तय कर रही है. यह सही नहीं है. पशु बिक्री को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले सरकार को राज्य सरकारों से सलाह लेनी चाहिए थी. कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी

कहा कि किसी को क्या खाना है, क्या नहीं, यह केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं है. इसे राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए. वहीं, केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि बूचड़खानों में बिकने वाले मवेशियों की लिस्ट में से भैंस को हटाया जा सकता है. पर्यावरण मंत्रालय के सचिव एएनडा कहते हैं कि हमें बैन लिस्ट में संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव मिले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है.

केंद्र-राज्यों में संवैधानिक गतिरोध



गौगांस पर प्रतिबंध लगने से अब बैलों और सांडों के मूल्य में 80 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है. कभी कृषि व्यवस्था का आधार माने जाने वाले बैल भी अब ट्रैक्टर व कृषि में उन्नत टेक्नोलॉजी आने के बाद अनुत्पादक हो गए हैं. ऐसे में इन पशुओं को खुले में छोड़ देने के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं है. इससे किसानों को अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो पशुधन को बेचकर मिलता था. ऐसे में गौ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना दम तोड़ रहे किसानों के गले में एक और फांस लगाने जैसा कदम है.

पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना से देश में संवैधानिक गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है. पशुपालन व कृषि मूल रूप से राज्यों के विषय हैं, जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार नहीं है. वहीं पशु क़रता रोकने का विषय समवर्ती सूची में आता है, जिसपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है. अपने इसी अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है. हालांकि इसमें बीफ बैन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मकसद कुछ वैसा ही था. इसके तहत करल के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो पशुओं पर क़रता के दायरे में आता है. केरल के मुख्यमंत्री विजयन इसे संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की बुनियाद पर चोट मानते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार कानून की आड़ में राज्य सरकार के अधिकारों का हनन कर रही है. यही नागरिकों के स्वतंत्र व्यापार करने के अधिकार और मनवसंद भोजन करने की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है.

इन राज्यों में बीफ बैन नहीं

केरल, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में गोहत्या पर बैन नहीं है. वहीं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर बैन लगा है.

आदेश दिया था, लेकिन ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हैं.

किसानों के गले की फांस बना कानून

देश में करीब 70 प्रतिशत पशुपालक खेती-बाड़ी पर आश्रित हैं. सरकार के पशु बिक्री कानून की मार इन पशुपालक छोटे किसानों पर पड़ी है. गाव, बैल या भैंस की ज्यादातर बिक्री छोटे किसान ही करते हैं. सूखे व अकाल की स्थिति में पशुओं को चारा-पानी का प्रबंध करने में असमर्थ होने पर ये पशुओं को बेच देते हैं. इस पैसे से ही वे दुग्ध, सूखा या अकाल में अपना गुजर-बसर करते हैं. अनुत्पादक पशुओं को पालने या उनके लिए चारा-पानी का प्रबंध करने में किसानों की कमर टूट जाती है. गोमांस पर प्रतिबंध लगने से अब बैलों और सांडों के मूल्य में 60 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है. कभी कृषि व्यवस्था का आधार माने जाने वाले बैल भी अब ट्रैक्टर व कृषि में उन्नत टेक्नोलॉजी आने के बाद अनुत्पादक हो गए हैं. ऐसे में इन पशुओं को खुले में छोड़ देने के अलावा किसानों के पास कोई चारा नहीं है. इससे किसानों को अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो पशुधन को बेचकर मिलता था. ऐसे में गौ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना दम तोड़ रहे किसानों के गले में एक और फांस लगाने जैसा कदम है.

गाय की खाल पर आधारित चमड़ा उद्योग का व्यापार लगभग 11 अरब डॉलर का है. यहां तक कि 95 प्रतिशत जूता उद्योग भी इसी कच्चे माल पर निर्भर है. पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक बहुसंख्यक तबका चमड़ा उद्योग से जुड़ा है.

पशु हाट में पसरा सन्नाटा

पशुओं के रंभाने से गुलजार रहने वाले पशु हाटों में आज सन्नाटा पसरा है. किसान राममूर्ति बताते हैं कि इन दिनों गाय व भैंस को बाजार तक लाने का काम काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है. कहीं भी बजरंग दल व गौरांशक पशुपालकों को घेरकर उनके साथ मारपीट करते हैं. अगर किसी तरह वहां से बच निकले तो अगले नाके पर पुलिस वाले घेर लेते हैं. हाट तक पशुओं को लाने के बाद किसानों की हिम्मत नहीं होती कि वे बिना बिके पशुओं को वापस लेकर जाएं. ऐसे में वे अग्नि-पीने दाम पर ही पशुओं को बेच देते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, बाजार में पशुओं की कीमत में 50 फीसद तक गिरावट आई है. मेवात के फिरोजपुर झिरका में पशु हाट लगता है. यहां 6 माह पहले करीब एक हजार पशु बिकने के लिए आते थे, जो अब घटकर 50-60 पशु तक रह गए हैं. इस पशु व्यापार से मेवात के करीब पांच हजार लोग जुड़े थे. इन पशु मेले के ठीकदारों को भी तीन लाख रुपये प्रति सप्ताह घाटा हो रहा है. ठेकेदार नू शाह का कहना है कि कई ठेकेदार मिलकर इस पशु मेले को 15 साल से ठेके पर लेते रहे हैं. सभी को हर साल 10 से 20 लाख रुपये मुनाफा हो जाता था. अब मुनाफा तो दूर की बात, एक करोड़ का घाटा उठाना पड़ सकता है.

गौ बिक्री पर नियंत्रण कर बीफ बैन लागू करने का खवाब देख रही सरकार को गौरांशकों की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखना होगा. देश में पशुक़रता निवारण कानून पहले से ही है, जिससे पशुओं पर हो रहे अत्याचारों व क़रता पर रोक का प्रावधान है. अगर उन कानूनों का ही क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए, तो इन मुक, बेवस प्राणियों की जीवन रक्षा हो सकती है. गौ की रक्षा से ज्यादा गावों की खरीद-फरोख करने वालों को आतंकित कर गौरांशक सरकारी योजना को ही पलीला लगा रहे हैं. ■

गलतियों से सीख रही है भाजपा



सरोज सिंह

कहते हैं गलतियों से सबक सीखने की आदत ही कामयाबी की राह खोलती है, जो गलतियों से नहीं सीखता, वह बिखर जाता है। तमाम उम्मीदों और प्रयासों के बावजूद जब पिछले विधानसभा चुनाव में विहार में भाजपा सत्ता से काफी दूर रह गई तो एक पल लगा कि अब आगे की राह पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो गई है।

भाजपा ने जाने-अनजाने 2015 के विधानसभा चुनाव में इतनी गलतियों को अंजाम दे दिया कि उमका बना-बनाया खेल ही बिगड़ गया। विरोधी एकता को कम आंका और जमीनी हकीकत से इतर फैसले लेकर भाजपा ने सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका खो दिया। लेकिन पार्टी के लिए संतोष की बात है कि बहुत जल्द वह हार के सदमे से उबर कर आगे की राह पकड़ने की कवायद में जुट गई है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को फ्री हेंड दे दिया है। अमित शाह ने उन्हें साफ कद दिया है कि उन्हें 2014 के प्रदर्शन को सबूत में दोहराना है। नित्यानंद राय यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनके सामने काफी कड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार अगर एकसाथ बने रहें तो 34 वाले आंकड़े को पाना लगभग असंभव हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का जो करिश्मा काम करे, लेकिन अगर महागठबंधन एकजुट रहा और पिछड़ी जातियों की मजबूत गोलबंदी जारी रही तो फिर विधानसभा वाला हाल ही हो जाएगा। भाजपा के रणनीतिकार यह समझ रहे हैं कि सूबे में जिस तरह विकास पर जातीय गोलबंदी हावी रहती है, वैसे ही महागठबंधन में दूर डाले बिना लोकसभा का महारण जीता नहीं जा सकता है। इसलिए एक उच्चस्तरीय बैठक में महागठबंधन की कमजोर कड़ी यानी लालू एंड फैमिली पर ताबडोब डालने की रणनीति बनाई गई। प्रदेश कमिटी के गठन में सुशील मोदी को लेकर जो कड़वाहट थी, उसे भी दूर करने को कहा गया। तब हुआ कि नीतीश कुमार पर हमले कम से कम हों और लालू व उनके परिवार के भ्रष्टाचार को जमकर उछाला जाए। सुशासन की दुहाई देकर नीतीश कुमार से बस इतना पूछा जाए कि क्या कानून का राज इसी तरह से चलता है। बैठक के फैसलों को अमलीजामा पहनाने के लिए सुशील मोदी को दस्तावेजों का पुर्नविना देकर आगे कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि लालू और उनके परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के दस्तावेजों को मुहैया कराने में जल्दू का एक गुट भी सक्रिय है। लालू के बड़े बेटे नूतन प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए शुद्धात उन्हीं से की गई और मौल की मिट्टी को जू में खपाने का मुद्दा उछाला गया। इसके बाद घरे में तेजप्रताप, राबड़ी देवी, मोसा भारती



और उनके पति शैलेश आते चले गए, इस बीच चारा घोटाले में सुप्रिम कोर्ट के एक फैसले ने भाजपा को मुंहमांगा वरदान दे दिया। इन आरोपों को कोर्ट की वैशाखी मिल जाने के बाद भाजपा ने अब भ्रष्टाचार के इन मुद्दों को सड़क पर ले जाने का मन बना लिया। सभी जिला मुख्यालयों में पार्टी ने धरना-प्रदर्शन कर जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार सुशासन की बात तो करते हैं पर लालू और उनके भ्रष्टाचार पर चुप हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सही मायनों में सुशासन के अंगुआ हैं, तो फिर तेजस्वी और तेजप्रताप पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सुशील मोदी सवाल दागते हैं



कि मंत्री तेजप्रताप और तेजस्वी यादव द्वारा दाखिल की गई संपर्त और उम्र के झूठे शपथपत्र के खिलाफ कार्रवाई करना मुख्यमंत्री के दायरे से बाहर कैसे है? विधायकों को को-ऑपरेटिव में सैकड़ों विधायकों के प्रतिशरारत रहने के बावजूद लालू प्रसाद और जयप्रकाश यादव को दो-दो प्लॉट आवंटन पर नीतीश कुमार की नजर क्यों नहीं जा रही है? बिना पर्यावरण विभाग की अनुमति के 750 करोड़ के मॉल का निर्माण होने देना, क्या नीतीश कुमार के दायरे से बाहर की चीज है। भाजपा का इस तरह लालू एंड फैमिली पर हमला कर नीतीश कुमार को कष्टपरे में खड़े करने की रणनीति महागठबंधन को कमजोर करने की

पहली कवायद है, जो काफी हद तक निशाने पर लगी है। नीतीश कुमार इन मामलों में बहुत संभलकर बोल रहे हैं और अपने सुशासन की इमेज को बचाने में लगे हैं। सुशासन ही नीतीश कुमार की पूंजी है और इसे वे खोना नहीं चाहेंगे। भाजपा के थ्रिंक टैंक मान कर चल रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मामला विहार में सबकी जुवां पर चढ़ता जा रहा है, उससे घबराकर नीतीश कुमार को एक न एक दिन कुछ कड़े फैसले करने ही पड़ेंगे। इसी तरह इंटर टॉपर को लेकर सरकार की जो छीछालेदार हो रही है, उसे भी भाजपा हथियार बना रही है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी कांग्रेस कोट से हैं, इसलिए भाजपा को लग रहा है कि अगर इस मामले को भी उछाला जाए तो कांग्रेस को लेकर भी नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा। कहा जाए तो भाजपा ने महागठबंधन को कमजोर करने का जो पहला टास्क लिया था, उसमें वह कामयाब होती जा रही है। अब दूसरा टास्क महागठबंधन के पक्ष में पिछड़ों की गोलबंदी रोकने की है। यह टास्क भाजपा के लिए नया नहीं है। देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस दिशा में पार्टी ने काम किया था, लेकिन वह आधे-अधूरे मन से हुआ था। भाजपा अब अपनी पुरानी गलती सुधारने में लगी है। पूर्वी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बिहार दौरा तब कर दिया गया है। कुशावाहा समाज के मजबूत नेता सम्राट चौधरी को उनकी उपस्थिति में पार्टी में शामिल कराया गया है। गौरतलब है कि कुशावाहा समाज में सम्राट चौधरी की अच्छी पकड़ है। सम्राट चौधरी को आगे कर भाजपा कुशावाहा और अन्य पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की फिरेक में है। जानकार बताते हैं कि भाजपा की तैयारी है कि प्रमंडल स्तर पर पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों का बड़ा सम्मेलन आयोजित कर उसे पार्टी के पक्ष में गोलबंद किया जाए। इसे लेकर भाजपा में गंभीर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस प्लान को अमलीजामा पहना दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय कहते हैं कि हमलोग बार-बार महीने जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, हमलोग सत्ता में रहें या बाहर, जनता से सीधा संबंद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, राय मानते हैं कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इस समय सूबे में पार्टी का जनाधार और मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटाले से परेशान है और नीतीश कुमार से पूछ रही है कि क्या हुआ आपके सुशासन का। राय का दावा है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और जल्द ही बिहार की जनता को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी। बहरहाल यह कहा जा सकता है कि भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सीख रही है और सही ढंग से विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है। अब यह महागठबंधन की सरकार को तय करना है कि भाजपा के इस वदत को कैसे रोका जाए।

एनडीटीवी-सीबीआई छापा

राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार : अरुण शौरी

चौथी दुनिया ब्यूरो

तुम से पहले वो जो इक शास्त्र यहाँ साक्षरश्री था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही चर्की था.

दिल्ली के प्रेस क्लब में इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और भाजपा नेता अरुण शौरी ने जैसे ही मुकुराने हुए वे शेर पड़ा, तालियों की गड़गड़हट गूँज उठी। दरअसल, शौरी ने ये शेर सीधे-सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा था। इसके साथ ही उन्होंने एक और साकीड भी कर दी कि राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार और फिर अरुण शौरी का ये कहना कि वे भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था। मौका था दिल्ली के प्रेस क्लब में एनडीटीवी के प्रमोटर्स के यहां पड़े सीबीआई छापे के विरोध में आयोजित पत्रकारों की एक बैठक का। दरअसल, कुछ ही दिन पहले एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय राव और राधिका राव के यहां सीबीआई ने छापे मारे थे। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक निजी बैंक से लिया हुआ अकाउंट नहीं चुकाया है। इस छापे को मीडिया की आजादी पर हमले के तौर पर देखा गया। इसी के विरोध में दिल्ली के प्रेस क्लब में कई महत्वपूर्ण पत्रकारों ने एक बैठक आयोजित कर इसे केंद्र सरकार की दुर्भावनापूर्ण बदले की कार्रवाई बताया। इस मौके पर अरुण शौरी, कुलदीप तैयार, फली एन नरीमन, पृथ के दुआ, शेखर गुप्ता, प्रणय राव आदि मौजूद रहे।



वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तैयार ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल के दौरान किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता था कि क्या करना है, सभी जानते थे कि क्या करना है, तब इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतीक बन गया था, आज जब हम कमोवेश वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी को भी बोलने की आजादी छीनते ना दें, वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है, सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है, अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेतर लोग हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, दुर्ब्यवहार से न डरें, वहीं प्रणय राव ने कहा, एक बार मैं चीन गया, वहां मुझे सूझा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है? हमला है, सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है, अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेतर लोग हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, दुर्ब्यवहार से न डरें, वहीं प्रणय राव ने कहा, एक बार मैं चीन गया, वहां मुझे सूझा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है?

सकते हैं, इस अवसर पर मशरूह वकील और न्यायविद फली नरीमन ने कहा कि एनडीटीवी मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उससे मुझे लगता है कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है। 2 जून को सीबीआई ने 7 साल पहले हुई घटना के लिए एफआईआर दर्ज की, जो भी बिना किसी जांच के, केवल संजय दत्त नाम के एक शख्स द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, सीबीआई को ऐसा कोई मामला दायर करते समय एनडीटीवी की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये संवैधानिक कर्तव्य का मामला है, इंदिरा गांधी के समय भी मीडिया पर ऐसे ही हमले हुए थे, तब इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ रिट नहीं फाइनल करने के 120 मामले दर्ज कराए गए थे, लेकिन सुप्रिम कोर्ट में अंततः हमारी जीत हुई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तैयार ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल के दौरान किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता था कि क्या करना है, सभी जानते थे कि क्या करना है, तब इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतीक बन गया था, आज जब हम कमोवेश वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी को भी बोलने की आजादी छीनते ना दें, वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है, सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है, अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेतर लोग हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, दुर्ब्यवहार से न डरें, वहीं प्रणय राव ने कहा, एक बार मैं चीन गया, वहां मुझे सूझा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है? हमला है, सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है, अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेतर लोग हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, दुर्ब्यवहार से न डरें, वहीं प्रणय राव ने कहा, एक बार मैं चीन गया, वहां मुझे सूझा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है?

कोशिश करेंगे, आप केवल यंत्र न बनें, साधियों का समर्थन नहीं करने से ज्यादा हतोत्साहित करने वाली बात कोई और नहीं होती। मेरी अपने प्रेस के सहयोगियों से शिकायत है कि हम उनसे सतक नहीं रहे, जितना हमें रहना चाहिए था, ये बहुत दुखद है कि आरटीआई का गला घोट जाने के समय हमें जैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी, वैसी हमने नहीं की। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार एकके दुआ ने कहा कि पिछली दफा प्रेस के ज्यादातर लोग खड़े नहीं हुए थे और जैसा कि आडवाणी ने कहा था, वे रेंग रहे थे, उसके बाद अवमानना विधेयक आया, राजीव गांधी बात करना चाहते थे, लेकिन हमने इंकार कर दिया, तब प्रेस की एकता ने लड़ाई जीत ली थी, विधेयक वापस लेना पड़ा था, क्योंकि लोग उसके खिलाफ थे, वैसे ही संकेत अब भी दिख रहे हैं, अगर हम एकजुट हों, तो फिर से उसे दोहरा सकते हैं, इस अवसर पर मशरूह वकील और न्यायविद फली नरीमन ने कहा कि एनडीटीवी मामले में जिस तरह से कार्रवाई की गई है, उससे मुझे लगता है कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है। 2 जून को सीबीआई ने 7 साल पहले हुई घटना के लिए एफआईआर दर्ज की, जो भी बिना किसी जांच के, केवल संजय दत्त नाम के एक शख्स द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, सीबीआई को ऐसा कोई मामला दायर करते समय एनडीटीवी की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये संवैधानिक कर्तव्य का मामला है, इंदिरा गांधी के समय भी मीडिया पर ऐसे ही हमले हुए थे, तब इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ रिट नहीं फाइनल करने के 120 मामले दर्ज कराए गए थे, लेकिन सुप्रिम कोर्ट में अंततः हमारी जीत हुई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तैयार ने इस मौके पर कहा कि आपातकाल के दौरान किसी को किसी से ये नहीं कहना पड़ता था कि क्या करना है, सभी जानते थे कि क्या करना है, तब इंडियन एक्सप्रेस एक प्रतीक बन गया था, आज जब हम कमोवेश वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी को भी बोलने की आजादी छीनते ना दें, वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि ये प्रेस की आजादी पर हमला है, सोशल मीडिया ने हम सबको गुमराह कर दिया है, अन्य पेशों की तुलना में पत्रकारिता में कहीं बेतर लोग हैं, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं है, दुर्ब्यवहार से न डरें, वहीं प्रणय राव ने कहा, एक बार मैं चीन गया, वहां मुझे सूझा गया, क्या आपको हमारी गगनचुंबी इमारतें देखकर जलन नहीं होती है?

दफन हो रहे इंसान पल्ला झाड़त साहेबान



प्रशान्त रास्तोगी

झा रखंड में झरिया के इंदिरा चौक के पास अपने अब्बू के साथ 10 साल का रहीम खान जब चाय पीकर अपने घर लौट रहा था, तो कुछ ही दूरी के बाद उसके कदमों के भार से जमीन धंस गई

और वो उसमें जिंदा दफन हो गया। उसे बचाने आए उसके पिता बबलू खान भी उसमें गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। दस फीट के बने गोफ में वेटा और बाप जिंदा दफन हो गए। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन झरिया में जमीन के नीचे कोयले के भार से प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। कोयलांचल के इस क्षेत्र के 17 हजार वर्ग किलोमीटर में वर्षों से आग लगी हुई है। लगभग आठ लाख परिवार इससे प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को पुनर्वासित करने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने 2009 में ही झरिया मास्टर प्लान बनाया था। ये देश की सबसे बड़ी फायर क्राइंटिंग व पुनर्वास योजना है। इसमें 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना बनाई गई थी। हालांकि इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा, मुआवजा और जिम्मेदारी अब तक तय नहीं हो सकी है। जब भी कोई मौत होती है, तो प्रशासन एवं बीसीसीएल के अधिकारी एक-दूसरे के माथे पर उसका ठीकरा फोड़ने का खेल शुरू कर देते हैं। वहीं राज्य सरकार एवं भारत सरकार पंच की भूमिका में आ जाती है।

बीसीसीएल एवं राज्य सरकार की इस लड़ाई में यहां के लोग जिंदा दफन होने को मजबूर हैं। नीचे कोयले की आग और गैस रिसाव और ऊपर जिंदगी। 17 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस आग के ऊपर लगभग आठ लाख जिंदगियां हैं। जमीन के अंदर कोयले में लगी आग से ये पूरा इलाका दहक रहा है, भू-धसान एवं गैस रिसाव की घटनाएं आम हो गई हैं। हाल में हुए हादसे से यहां के लोग भारी दहशत में हैं। कि पता नहीं कब किसका मकान धंस जाय। इस क्षेत्र के 595 जगहों को चिह्नित किया गया है, जहां जमीन के नीचे लगी कोयले की आग से भू-धसान का खतरा है। इसमें 42 जगहों को तो अत्यधिक खतरनाक माना गया है, जिसे तुरंत कहीं शिफ्ट करने की बात कही



स्थिति भयावह, जल्द ही पुनर्वास होगा: मुख्य सचिव

झा रखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि झरिया की स्थिति अत्यंत भयावह है। जमीन के अंदर एक बड़े भू-भाग में आग लगी हुई है। साथ ही दूधित गैस भी निकल रही है। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस स्थिति से जल्द ही निवटना होगा। झरिया पुनर्वास बोर्ड विस्थापितों को पुनर्वासित करने का काम कर रहा है। जल्द ही प्रभावित परिवारों को यहां से हटाया जाएगा। जिला प्रशासन एवं भारत कोयला कोल लिमिटेड के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र के लोगों को शिफ्ट करें। बीसीसीएल कर्मियों को शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है। झरिया एवं अन्य प्रभावित क्षेत्रों में रेल परिवहन को भी 15 जून से बंद कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में फैसला ले लिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि जहां पर लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, वहां हर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 42 ऐसे स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां के परिवारों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद अन्य जगहों के परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा छ: हजारों आवास बनाए गए हैं। उपायुक्त को समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है।

जा रही है। अगर ये काम जल्द नहीं किया गया, तो एक बड़ी घटना कभी भी घटित हो सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तो तात्काल 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे देखकर एनडीआरएफ की टीम भी हैरान हो गई है।

दरअसल, ये काम इसलिए धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इससे अपना हाथ खींच लिया है। पहले ये योजना दस हजार करोड़ की थी, लेकिन अब ये बढ़कर 31 हजार करोड़ रुपए की हो गई है। पहले बने मास्टर प्लान में कहा गया था कि आग पर नियंत्रण और अग्निक्षेत्र में रह रहे कोल कर्मियों के सुरक्षित जगहों पर पुनर्वास की जिम्मेदारी बीसीसीएल की है, वहीं रैली एवं अतिक्रमणकारियों का पुनर्वास राज्य सरकार को करना है। इसके लिए बकाया झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के आयुक्त को इस बोर्ड का अध्यक्ष, बीसीसीएल के सीएमडी को उपाध्यक्ष और जिले के उपायुक्त को सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार के स्तर पर कोयला मंत्रालय ने मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए हाइपावर कमिटी गठित कर रखी है, जो नियमित बैठक करती है। उच्चतम न्यायालय इसकी मानिटिंग कर रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इनकी सुस्पष्ट व्यवस्था व रोडमैप के बावजूद अग्निक्षेत्र में हर मौत के बाद जिम्मेदारी की फेकाफेकी होती है। प्रशासन आग बुझाने की जिम्मेदारी जहां बीसीसीएल पर डालता है, तो वहीं बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन पर डालती है। जिम्मेदार संस्थानों के बीच तालमेल है ही नहीं। इसका खासियाना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भुगाना पड़ रहा है, जबकि इस तरह की घटनाओं के लिए सभी दोषी हैं, यहां तक कि केंद्र सरकार भी। शुरू में पुनर्वास कार्य में जो तेजी आई थी, वो अटक सा गई है। कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। नई जगह पर उनके जीवन-यापन का क्या साधन होगा, इसका हल

अग्निक्षेत्र से हटाए जाएंगे सभी कोलकर्मि

झा रिया में जमीन के नीचे कोयले की आग व गैस रिसाव के खतरनाक रूप को देखते हुए प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेज की दी गई है। असुरक्षित स्थानों से लोगों को हटाने के लिए जेन्डा व बीसीसीएल की ओर से पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। खतरा वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां से बसे लोगों का सर्वे कर हटाने के लिए कहा गया है। जेन्डा को गैर बीसीसीएल लोगों को बसाने की जिम्मेदारी दी गई है। बीसीसीएल अपनी जिम्मेदारी के तहत अग्निप्रभावित क्षेत्र में रह रहे कोलकर्मियों को शीघ्र हटाने जा रही है। इस दिशा में काम शुरू किया गया है। इसमें और तेजी लाने के लिए हर क्षेत्र के महाप्रबंधक व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया है। कोल कर्मियों को सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए 15852 नए आवास बनाए जा रहे हैं। 6416 आवास बन कर तैयार हैं। अब तक 2876 कोल कर्मियों को नए आवास में शिफ्ट किया जा चुका है। कुसुंडा, वस्ताकोला, सिजुआ, लोदना सहित प्रभावित परिवारों के कर्मियों को प्राथमिकता से शिफ्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2019 तक सभी कोल कर्मियों को भूगर्भत आग व खतरनाक स्थानों से हटा लेने का लक्ष्य रखा गया है। नए आवासों में पानी व बिजली की व्यवस्था शीघ्र करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। कर्मियों के लिए नई जगहों पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पानी, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था समेत बच्चों के लिए स्कूल की भी व्यवस्था है। हालांकि आवास के आकार को लेकर शिकायतें आ रही हैं। लेकिन अधिकारी इससे इंकार करते हैं। उनका कहना है कि आकार उनका भी छोटा नहीं है, डिजाइन पास होने के बाद ही ये आवास बनाए गए हैं।

अभी तक नहीं निकला जा सका है। अग्निक्षेत्र के प्रभावित लोगों को क्या मुआवजा मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल बन गया है। अग्निक्षेत्र में लगभग 1.25 हजार परिवार रह रहे हैं। इसमें 30 हजार रैलीत लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है। अतिक्रमणकारियों को जहां बना बनाया आवास मिलेगा, वहीं रैलीतों को अपने घर जमीन का बाजार मूल्य के साथ ही बसाने के लिए सुरक्षित जमीन। अतिक्रमणकारी भी दोनों चीजें मांग रहे हैं। इसके कारण प्रशासन को पुनर्वास करने में कठिनाई आ रही है। इधर 10 हजार करोड़ की योजना 31 हजार करोड़ की हो गई और इसे देखकर केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।

जमीन की आग के कारण धनवाद चंद्रपुर रेल लाईन को भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण सवा करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ ही कोयला डुलाई की समस्या भी खड़ी हो गई है। 34 किलोमीटर के इस रेलखंड को बंद कर दिए जाने से सात लाखों के पावर प्लांटों को कोयला मिलने में परेशानी होगी। रेलवे को इससे लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वैकल्पिक लाईन बनने में लगभग पांच साल लग जाएंगे।

इधर, अधिकारी भी अब स्थिति की गंभीरता को लेकर चिंता जाहिर करने लगे हैं। राज्य सरकार की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने स्थिति को भयावह बताते हुए कहा कि जल्द ही अग्निप्रभावित क्षेत्रों को खाली करा दिया जाएगा। बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक भी ये स्वीकार करते हैं कि झरिया की आग एवं गैस रिसाव अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आग का दाया काफी बड़ा है और काफी नीचे तक है। बारिश के मौसम में धसान का खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। बीसीसीएल के लोगों के पुनर्वास का काम बीसीसीएल के द्वारा किया जा रहा है। आधे से अधिक कर्मचारियों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि गैर बीसीसीएल के लोगों को दूसरे जगह बसाने की जिम्मेदारी झरिया विकास प्राधिकरण को दी गई है। वहीं, धनवाद के उपायुक्त ए. दीक्षित का कहना है कि असुरक्षित क्षेत्र को खाली करने के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार रहें।

प्रभावित परिवार नए कानून के तहत जमीन के बदले मुआवजा और कोल इंडिया की पॉलिसी के तहत नियोजन की मांग कर रहे हैं। बीसीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि हमें कोयला खनन के लिए इस क्षेत्र में जमीन चाहिए ही नहीं। दूसरी ओर भू-अर्जन की जटिल प्रक्रिया के कारण जमीन उपलब्ध नहीं होने से विस्थापितों के लिए नई कॉलोनी बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण काम धीमी गति से चल रहा है। कोल फील्ड बचाओ समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि कोयले के लिए बीसीसीएल आग को दहका रही है। झरिया में पहले चारों ओर हरियाली थी, लेकिन ओपन कार्टर माइनिंग ने धरती का कलेजा चीर कर तस्वीर बदल दी है। हरियाली की जगह अब गैस रिसाव और काली मिट्टी पत्थर के पहाड़ ही दिखते हैं। ओपन कार्टर माइनिंग की वजह से कोयले में लगी आग हवा के संपर्क में आ गई, जिससे आग का दाया बढ़ता ही चला गया। इस पर कभी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि झरिया पुनर्वास योजना सौ सालों में भी पूरी नहीं होगी।

हादसों की लंबी फेहरिस्त

- 26 सितम्बर 1995 को केंद्रुआ के चौरसिया टंपित इसके शिकार हुए.
- वर्ष 1996 में कतरास मोड़ में भू-धसान की घटना.
- 4 अगस्त 1997 को धर्म नगर की गीता नामक बालिका भू-धसान में दफन
- जून 1999 में सेंट्रल बासजोड़ा में एक युवक जिंदा दफन, भू-धसान में कई घर क्षतिग्रस्त.
- वर्ष 2006 में शिमलाबहाल बस्ती की मीरा नामक लड़की जमीन में धंस कर जिंदा जली.
- 15 मार्च 2007 को बीसीसीएल के नयाडीह कुसुंडा में भू-धसान में दस लोगों की मौत.
- वर्ष 2008 में सेल के सेवानिवृत्त कर्मी चासनाला के उमाशंकर त्रिपाठी इंदिरा चौक के पास जमीन धंसने से जिंदा जले.
- 16 मई 2008 को चासनाला की डेको परियोजना में डोजर मशीन समेत विनोद दास नामक कर्मी दफन.
- 19 सितम्बर 2008 को कुजाया में ज्योति नामक बालिका गोफ में गिर कर मरी.
- अक्टूबर 2008 में धर्म नगर झरिया में भू-धसान में सुंदरी देवी की मौत.
- 5 फरवरी 2016 को सुदामडीह में भू-धसान में जीरा देवी मकान समेत दफन.
- 13 मार्च 2017 को बोका पहाड़ी में भू-धसान से पचास फीट व्यास का गोफ बना.





देश के किसान क्यों निराश हैं

वर्ष 2016 में भरपूर फसल के साथ आयात कीमतें 63 फीसदी तक नीचे हुई हैं। नोटबंदी के कारण नकदी में भी कमी हुई। पिछले छह दशकों से वर्ष 2011 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के बावजूद आधे से अधिक किसान वर्षा पर निर्भर हैं। हम बता दें कि निवेश की गई यह राशि 545 टिहरी-आकार के बांधों के निर्माण के लिए पर्याप्त है।

प्राची सावळे/एलिसब वलदबहा/विपुल विवेक

ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से खेती पर निर्भर भारतीय किसान आक्रोश में हैं। यहां यह जान लेना जरूरी है कि भारत में 9 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर हैं।

पुलिस गोलीबारी में छह किसानों की मौत के बाद मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आक्रोश बढ़ा और किसानों का विरोध-प्रदर्शन महाराष्ट्र और जूना-ग्रस्त राज्यों में और तेज हुआ। हमने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों के आक्रोश और निराशा के कारण जानने की कोशिश की है। विश्लेषण में हमने पाया कि किसानों का ये विरोध जून माफ़ी की मांगों को लेकर है। भारत में खेती अप्रभावी होने का मुख्य कारण खेतों का लगातार छोटा होना है। दुनिया में सबसे ज्यादा छोटे खेत भारत में ही पाए जाते हैं। यहां इन सिकुड़ते खेतों पर अधिक लोगों की निर्भरता है। हम बता दें कि वैश्विक औसत जमीन धारक आकार 5.5 हेक्टेयर है।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1951 के बाद से प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में 70 फीसदी की गिरावट हुई है। ये आंकड़े वर्ष 2011 में 0.5 हेक्टेयर से 0.15 हेक्टेयर तक हुए हैं और भविष्य में और भी कम होने की आशंका है। इस तरह के छोटे और सीमांत भूमि-धारक इस समय देश में परिचालित खेतों की संख्या का 85 फीसदी बनाते हैं, जैसा कि भारतीय कृषि राज्य पर 2015-16 की रिपोर्ट में कहा गया है।

छोटे खेतों पर आधुनिक मशीनरी का उपयोग आम तौर पर नहीं होता। इस तरह के खेतों के मालिक अक्सर महंगे उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। मैनअल डंग से खेती करने में लागत बढ़ती है। गांव छोड़कर श्रमिक लगातार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे श्रमिकों का मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा खेतों का छोटा आकार और उससे बहुत कम उपज ज़रूरी और संस्थगत ज़रूरत तक पहुंच को सीमित करता है।

सूखे के बाद अच्छी फसल लेकिन आय में गिरावट

वर्ष 2017 में, भारत के खेतों के लिए अच्छी खबर मिली। वर्ष 2014 और 2015 के सूखे के बाद, 2016 में अच्छे मानसून ने दो साल के ग्रामीण आर्थिक गिरावट को बदल दिया। भारत में कृषि विकास दर 2014-15 में 0.2 फीसदी थी। लगातार पड़ने वाले सूखे के कारण यह दर 2015-16 में 1.2 फीसदी से अधिक नहीं बढ़ी। 2016-17 में, कृषि अर्थव्यवस्था में 4.1 फीसदी की वृद्धि हुई है।

दाल उगाने वाले कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात के बाजारों में माल बहुत आया है। विशेषकर तूर दाल, क्योंकि इसकी उपज अन्य दालों की तुलना में सबसे अधिक हुई है। अधिकतर भारतीयों के लिए दाल प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उपजने वाला देश है।

हालांकि सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक के दो वित्तीय तिमाहियों में प्याज, तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी से दालों की आयात 20 फीसदी बढ़ी है। इस बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने 3 मार्च, 2017 की अपनी रिपोर्ट में बताया है। इस कारण भारतीय तूर दाल की कीमतों में गिरावट हुई है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 7 जून, 2017 को जारी एक मॉड्रिक नीति बयान में कहा गया है, कि दालों की कीमत स्पष्ट रूप से रिटार्ड उपादान और अत्यधिक आयात के कारण लड़खड़ा रही है।

दिसंबर 2015 में तूर दाल की कीमत 11,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। अब यह कीमत 63 फीसदी घटकर प्रति क्विंटल 3800-4000 रुपए हो गई है। इस कीमत पर सरकार कृषि उत्पादन खरीदती है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 20 फीसदी नीचे है।

दालों के उत्पादन में 29 फीसदी की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में दालों का उत्पादन 17.15 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 22.14 मिलियन टन हुआ है। इसी अवधि के दौरान तूर दाल के उत्पादन में 50 फीसदी की वृद्धि

हुई है। तूर दाल का उत्पादन 2.81 मिलियन टन से बढ़कर 4.23 मिलियन टन हुआ है। सितंबर 2016 में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली एक सरकारी समिति ने वर्ष 2017 में तूर दाल के लिए एमएसपी बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल और 2018 में 7,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है।

मार्च 2017 तक, दाल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल था। यह राशि दालों पर समिति द्वारा सिफारिश की गई कीमतों से लगभग 20 फीसदी या 18 फीसदी कम है। कीमतें कम होने के साथ किसानों के लिए अपने उत्पाद का भंडारण करने और नोटबंदी के कारण नकदी में कमी से अगले मौसम के लिए धन प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। हम बता दें कि 8 नवंबर 2016 को सरकार ने देश की 86 फीसदी मुद्रा को अमान्य घोषित कर दिया था।



नोटबंदी से किसानों को हुई नकदी की कमी

18 मई को दोपहर की कड़ी धूप में 30 वर्षीय प्रशांत लोडे ने भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई से 664 किमी पूर्व अमरावती कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) को 800 क्विंटल तूर बेचने के लिए घंटों इंतज़ार किया।

महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में, अमरावती जिले के आष्टी तालुका के सिहला गांव के लोडे कहते हैं कि उन्होंने अपनी 800 क्विंटल तूर सरकारी खरीद केंद्र में बेचने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य उच्चतम दर पर तूर खरीदता है। बाजार में लोडे अपना तूर, 3,800 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बेच सकते थे, जबकि सरकारी खरीद केंद्र ने 5,050 रुपए प्रति क्विंटल की पेशकश की थी।

लोडे कहते हैं, हम सरकारी केंद्र में नहीं बेचते, क्योंकि बिज्जी की प्रक्रिया एक महीने में पूरी होती है। बिज्जी के लिए टोकन के लिए लाइन में खड़े होने से भुगतान खाते तक पहुंचने में महीने भर का समय लग जाता है। हमारे साथी किसान, जिन्होंने 22 मार्च को प्राण केंद्र में अपने उपज बेचे हैं, अब तक जून में भी उन्हें पैसे नहीं मिल पाए हैं।

नोटबंदी के ठीक बाद, कर्नाटक और तमिलनाडु में टमाटर के किसानों को और महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कीमतों में 60-85 फीसदी की गिरावट आई। छह महीने बाद थोड़ी राहत के साथ, किसानों की हड़ताल और कृषि बाजारों के अस्त-व्यस्त होने के साथ नोटबंदी के इस प्रयोग ने परिस्थितियों को और बिगाड़ना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया कि नोटबंदी के दौरान कम बिज्जी से मूल्य में गिरावट आई है और इसका प्रभाव जारी है।

7 जून 2017 को आरबीआई के बयान में कहा गया है,

मीजूदा आंकड़े बताते हैं कि क्षणभंगुर प्रभाव वाले फलों और सब्जियों, दालों और अनाजों के संबंध में अतिरिक्त आपूर्ति शक्तों के साथ उलझा हुआ है और इस पर मुख्य खाद्य पदार्थों से संबंधित मूल्य का निर्धारण टिका हुआ है। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे समय में, लोडे जैसे किसानों पर जून का बोझ बढ़ता है।

महाराष्ट्र में 57 फीसदी खेतीपरिवार जून के बोझ तले दबा हुआ है। नेशनल संपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के 2013 के परिवारों के परिस्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के मुताबिक, इस संबंध में भारत के लिए आंकड़े 52 फीसदी हैं। इस जून के परिणाम व्यापक हैं। वर्ष 2015 में किसी अन्य राज्य की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। आंकड़े 4,291 हैं, जो कि वर्ष 2014 के 4,004 के आंकड़ों से 7 फीसदी ज्यादा हैं। 1,569 के आंकड़ों के साथ कर्नाटक दूसरे और 1,400 के आंकड़ों के साथ तेलंगाना तीसरे स्थान

में कमी भी भरोसा नहीं किया जा सकता।

क्लच ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल स्टडीज के अनुसार, मध्य भारत में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं और स्थानीय और विश्व मौसम में जटिल परिवर्तनों के एक भाग के रूप में मध्यम और वर्षा कम हो रही है। ग्रामीण महाराष्ट्र में 2014 और 2015 के सूखे को 2016 के भारी बारिश ने कम किया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों ने भी बाढ़ का सामना किया है। अनिश्चित मौसम किसानों को इसी सलाह देने के लिए सरकारी विस्तार प्रणालियों की क्षमता को प्रभावित करता है।

विदर्भ के किसान लोडे कहते हैं, सरकार ने हमें खरीफ (जुलाई से अक्टूबर) के मौसम में और अधिक तूर उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इन फसलों के लिए पानी की खपत कम और मांग उच्च है। पिछले तीन सालों में हमें इतनी हानि का सामना नहीं करना पड़ता, अगर वहां सिंचाई



की उचित व्यवस्था होती। वर्ष 2015-16 राज्य कृषि रिपोर्ट के अनुसार, सिंचाई के छह दशकों के बावजूद, 50 फीसदी से कम या 140 मिलियन हेक्टेयर के भारत का शुद्ध-खेती वाले क्षेत्र का 66 मिलियन हेक्टेयर सिंचित है। भूजल भारत की सिंचाई के दो-तिहाई भूमि के लिए पानी प्रदान करता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से ये स्तर गिर रहा है।

प्रथम पांच वर्षीय योजना (1951-56) से र्यारहवें (2006 से 2011) तक केंद्र सरकार ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर कुल 3.51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जैसा 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) की यह रिपोर्ट बताती है। 1 जुलाई, 2015 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल (2015-16 से 2019) में 50,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को शुभारंभ किया है। पीएमकेएसवाई का नीति वाक्य है - हर खेत को पानी और मोर क्रांप पर ड्रॉप। वर्ष 2015-16 में माइक्रो इरीगेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपए की एक तिहाई (312 करोड़ रुपए) से कम की राशि जारी की गई, जैसा कि इस सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है। माइक्रो इरीगेशन फाइनान्सियल प्रोग्रेस मानिट्रिंग रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से अप्रैल 2016 तक, 48.3 करोड़ रुपए या 5 फीसदी से कम, वास्तव में खर्च किया गया था।

सरकार ने 2016-17 के माइक्रो इरीगेशन के लक्ष्य के रूप में 1,763 रुपए निर्धारित किए हैं, लेकिन परिणाम पर कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।

माइक्रो इरीगेशन कार्यक्रम में 6,51,220 हेक्टेयर या 0.46 फीसदी शुद्ध खेती वाला क्षेत्र शामिल है।

52 फीसदी भारतीय किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं

अधिकतर ग्रामीण भारत में बुनियादी समस्या यह है कि सिंचाई के फायदे के बावजूद, भारत के 52 फीसदी खेत बारिश पर निर्भर हैं, जिस पर जलवायु परिवर्तन के इस दौर



चौथी दुनिया इफ्तार 2017

हर साल की तरह इस साल भी 15 जून 2017 को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में चौथी दुनिया की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया. इफ्तार पार्टी का आयोजन श्री कमल मोरारका और संतोष भारतीय की तरफ से किया गया. इफ्तार पार्टी में केन्द्रीय मंत्री से लेकर विदेशी राजनयिक, सांसद, विभिन्न दलों के नेता, पत्रकारों, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन, जनरल वीके सिंह, पूर्व विदेश मंत्री कुचर नन्दर सिंह, कांग्रेस नेता संजय सिंह, लोजपा नेता रामचंद्र पासवान, जद(यू) के के सी ल्यागी, राजद नेता एम ए फातमी, समाजवादी नेता सुनीलम, कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री, झारखंड के पूर्व गवर्नर सैयद सित्ते रजी, जस्टिस (रिटायर्ड) ए एम अहमदी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी एसवाई कुरेशी आदि मौजूद रहे. इस मौके पर मशहूर उर्दू कवि गुलजार देहलवी भी मौजूद रहे.

इफ्तार पार्टी में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी शिरकत की. देश के जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर, कप्तान बहीद नक्वी, विनोद अमिहोत्री, विनीत नारायण, अशोक वानखेडे, कमर आगा, व राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी, इफ्तार मिलाना, असद रजा, कासिम सैय्यद ने अपनी मौजूदगी से इफ्तार पार्टी की शोभा बढ़ाई.

इस पाक मौके पर जमाते इस्लामी के इंजीनियर सलीम, नुसरत अली, मोहम्मद अहमद एवं अरशद शेख के साथ ही मुस्लिम मजलिसे मुशावरत के नवेद हामीद, अब्दुल हमीद नोमानी, मर्कजी जमियत अहले हदीस के मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अजीमुल्ला, मिल्ली कांसिल के सफी अखतर, इस्टीव्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के डॉक्टर जेड एम खान और मोहम्मद आलम, अल-हिक्मा फाउंडेशन के डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, शाह बलीउल्लाह इस्टीव्यूट के मौलाना अताउर्रहमान कासिम एवं गालिब इस्टीव्यूट के रजा हैदर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गयूरुल हसन भी मौजूद थे.

सभी फोटो - अजित कुषा



सीतापुर में बीच सड़क लुटेरों का तांडव, व्यापारी परिवार की नृशंस हत्या

करल कानून व्यवस्था का

■ पुलिस से बेहतर थी कामिनी जो आखिरी दम तक लड़ी

■ जिला पुलिस गई-गुजरी, एसटीएफ भी नाकारा साबित

संजीव गुप्ता

दुस्साहसिक वारदातों के लिए बदनाम सीतापुर की बदतर कानून व्यवस्था की बदरंग किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया जब छह जून को रात के करीब दस बजे शहर के वीआरपी मोहल्ले में सीतापुर के एक व्यापारी, उनकी पत्नी और बेटे गोली मारकर हत्या कर दी गईं और लाखों रुपए लूट लिए गए। डीएम आवास, एसपी आवास और शहर कोतवाली के नजदीक हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस तंत्र की नाकामी उजागर कर दी है।

सीतापुर शहर के सिविल लाइन निवासी सुनील जायसवाल दालों के थोक व्यापारी थे। सीतापुर के राजा बाजार में उनकी सुनील दाल स्टोर के नाम से दुकान है।



आस-पास के कई जनपदों में उनका व्यापार फैला हुआ है। छह जून को सुनील दुकान बन्द करने के बाद अपनी मोटर साइकिल से प्रतिदिन की तरह घर जाने के लिए निकले। उनके घर से करीब चार सौ मीटर दूर शहर कोतवाली, डीएम और एसपी के आवास हैं। सुनील के पास उस दिन की कमाई का रुपया अधिक था जो एक काले रंग की लेदर बैग, मोटर साइकिल की डिग्री और पेंट की जेब में रखा हुआ था। यह रकम करीब चालीस लाख रुपए बताई जा रही है। रात करीब 09 बजकर 55 मिनट पर जो जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचे, तीन मोटर साइकिलों पर सवार पांच नकाबपोश सशस्त्र लुटेरों ने पीछे से आकर झुंझें रोक लिया और रुपए से भरा बैग छीनने लगे। कुछ सशस्त्र लुटेरे घर के सामने रोड पर दोनों ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद खड़े थे। बैग न देने पर लुटेरों ने इन्हें लात मारकर मोटर साइकिल सहित जमीन पर गिरा दिया और बैग छीन लिया। चीखने-चिल्लाने पर लुटेरों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। चीख-पुकार और गोलियों की आवाज सुनकर पत्नी कामिनी जायसवाल अपने पन्द्रह वर्षीय बेटे रितिक के साथ गेट खोलकर बाहर आईं और निहत्थे ही सशस्त्र लुटेरों से भिड़ गईं। दो लुटेरों को उन्होंने जमीन पर पटक भी दिया, इस अन्य लुटेरे उनकी गर्दन से पिचलत सटाकर गोली मार दी। मां और बाप को रक्त रंजित तड़पता देख रितिक चीखा और घर के अन्दर भागा तो लुटेरों ने उसकी पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। स्वचालित हथियारों से लैस पेशेवर लुटेरों ने लूट के दौरान जो भी घर से निकला और लूट में बाधक बना, उसी की हत्या कर दी। लुटेरों की सभी गोलियों तीनों के सीने के ऊपर ही मारी गईं, यानि लुटेरे शांति लुटेरे और शाप शूटर थे। एक राहगीर ने करीब सौ मीटर दूर खड़ी 100 नंबर की गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों को सूचना दी, लेकिन उन्होंने अपना इलाका न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। खास बात यह थी कि पेशेवर लुटेरों को यह बखूबी मालूम था कि घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से उन लोगों ने स्ट्रीट लाइट को पहले ही तिरछा करा दिया था और कैमरे के बेहद करीब आए बिना ही वारदात को अंजाम दिया। खबर है कि वारदात के कुछ घंटे पहले कुछ लोग सीटी लेकर सिविल लाइन पहुंचे थे और उन्होंने खम्भे पर चढ़कर व्यापारी के घर के ठीक सामने की स्ट्रीट लाइट को उलटी दिशा में घुमा दिया था। उन लोगों ने आस-पास की कई स्ट्रीट लाइटों से भी छेड़छाड़ की थी, ताकि रोड पर अंधेरा रह सके और सीसीटीवी कैमरे भी बेअसर रहें। स्ट्रीट लाइटों से छेड़छाड़ करने वाले लोग कौन लोग थे? इसका जवाब न तो विद्युत विभाग के पास है, न नगर पालिका के पास और न पुलिस के पास। पुलिस इसकी छानबीन भी नहीं कर रही है।

सीसीटीवी में वारदात की स्पष्ट रिकार्डिंग हो जाने के बाद भी बेखोफ लुटेरे शहर की सड़कों पर अपनी रसर बाइकों से फरटते भ्रमते रहे और कुछ दूर जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। शहर के तिराहों और चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उनकी लोकेशन दिखाने में नाकाम ही साबित हुए हैं। दौलत और शोहरत के धनी इस व्यापारी के परिवार की निर्मम हत्या में पुलिस करीबियों पर शक कर रही है, लेकिन कुछ हासिल करने की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। लुटेरों का मकसद केवल धन लूटना ही नहीं था बल्कि महारथ दाल व्यापारी और उसके खानदान को नष्ट करना भी था। लेकिन पुलिस को इस एंगल से भी छानबीन करने की फुर्सत नहीं। पुराना कानून व्यवस्था का योगी का दावा केवल सत्ता गलियारे की सीमा तक ही सीमित है।

हजारों नाराज व्यापारियों, मजदूरों, सामाजिक



अपराधियों ने धो डाला सरकार का दावा

मथुरा में सरंफा व्यापारियों की हत्या और सीतापुर में दाल व्यापारी के पूरे परिवार की हत्या समेत कई अन्य सनसनीखेज वारदातों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और योगी सरकार के दावों को धोकर रख दिया है। अखिलेश सरकार की खराब कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने वाले लुटेरों ने अपने कानून व्यवस्था पर झेंप रहे हैं। आम नागरिक तब भी कानून व्यवस्था को लेकर निराश था, अब भी है। सरकार बदलने के कुछ दिन तक तो लगा कि पुलिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े तैवर का कुछ असर है, लेकिन जल्दी ही यह इनक भी जाती रही। अब योगी ही कातर भाव में नजर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि प्रशासनिक तबादलों का असर कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ता, लेकिन अब अपनी बात बेअसर होता देख कर वे भी थड़ाथड़ा तबादले कर रहे हैं। योगी ने जावीद अहमद को हटा कर सुलखान सिंह को डीजीपी बनाया, लेकिन सुलखान सिंह की ईमानदारी और सख्ती भी पुलिस पर कोई असर नहीं दिखा पाई। तबादलों की सूची पर अब यह भी कहा जाने लगा है कि दामोदर और नाकारा छवि वाले पुलिस अफसर युगाड बिठाकर अहम तैनातियां पा रहे हैं।

जमीनी सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में लोग खराब कानून व्यवस्था से ब्रह्म हैं। पुलिस वाले अपने धंधे में व्यस्त हैं, प्रधानमंत्री ने अपने विधायकों और सांसदों को हिदायत दे रखी है कि वे किसी के तबादले की सिफारिश नहीं करेंगे। पीएम की यह हिदायत उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। अफसर भी यह समझ गए हैं कि सांसद विधायक की कोई आकांत नहीं रह गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों जब मेरठ गए तो उन्हें भाजपा सांसद और विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के रोष का सामना करना पड़ा। समीक्षा बैठक में जब मौर्य ने पूछा कि अपराधियों में भाजपा सरकार का खोफ है या नहीं तो सबने एक सुर में कहा, नहीं। मौर्य से कुछ कहते नहीं बन पड़ा। मथुरा में सरंफा व्यापारियों की हत्या, सहारनपुर में शकबीपुरकांड, रामपुर में मुस्लिम युवकों द्वारा सरैराह लड़की और उसकी मां से अश्लील हरकत की वारदात, हाथरस में पुलिसवालों द्वारा दम्पति को लूटने का मामला और अब सीतापुर में व्यापारी परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश में योगी राज के बजाय जंगल राज की पुष्टि कर रही है।



संगठनों के कर्ता-धर्ता, अधिवक्तागण और आम लोग घटना के अगले दिन सुबह ही सड़कों पर उतर आए। इस पर सियासत भी होने लगी और यह पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल और मौजूदा भाजपा विधायक राकेश राठी के समर्थकों के बीच मारपीट की बन्दुमा शकल में भी तब्दील हुई। पूर्व विधायक को मारके से उल्टे पांव भागना पड़ा। देर शाम कोतवाली में पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। घटना के खुलासे में पुलिस को नाकाम देख कर व्यापारियों ने तीन दिन शहर बन्द का ऐलान भी किया और शहर की सड़कों पर डेरा डाल

दिया। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक मृगेंद्र सिंह आए दिन यह डायलॉग मारते रहे हैं, 'अपराधी शहर छोड़ दें या भूमिगत हो जाएं'। सीतापुर के इस जन्म वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक का डायलॉग जहरीले तीर की तरह उन्हीं को छेद रहा है।

चिता पर भी सेंक रहे सियासत की रोटी

जनता की अदालत से बेइज्जत करके भगाए कुछ सफेदपोश तिहरे हत्याकांड पर अपनी सियासी रोटियां सेंकने से बाज नहीं आ रहे। धीरहरा के पूर्व कांग्रेसी सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद, कांग्रेस के

पूर्व एमएलसी हरीश बाजपेयी, पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल, मौजूदा भाजपा विधायक राकेश राठी जैसे नेता इसमें अग्रणी हैं। सीतापुर से भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ तक जा पहुंचा और व्यापारी परिवार की हत्या करने वाले लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग की। इनमें मंडल में जिला प्रभारी एवं मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, जिला प्रभारी मानसिंह, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा एवं सदर विधायक राकेश राठी भी शामिल थे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल, महोली के पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता सहित अन्य कई नेता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच कर भावुक होने और दिखने का उपक्रम किया। सामाजिक कार्यकर्ता कुमुदलता कहली हैं कि कामिनी (व्यापारी की पत्नी) बहुत दिलेर महिला थीं, जो लुटेरों से आखिरी दम तक लड़ती रहीं, लेकिन सीतापुर की पुलिस वह महिला भी नहीं है, वह क्या है इसके लिए अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। योगी सरकार में मंत्री रहते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने स्पष्ट कहा कि व्यापारी परिवार हत्याकांड से प्रदेश की कानून व्यवस्था को कड़ी चुनौती मिली है।

आंखों में आंसू पर जुवां पर व्याय की मांग

लूट के दौरान मारे गए दाल व्यापारी सुनील जायसवाल की दोनों बेटियां शिवानी व रिचा लखनऊ में रहकर पढ़ाई करने के चलते बच गईं। इस हृदय विदारक घटना के बाद दोनों बहनें अवाक हैं। वे योगी सरकार से मांग कर रही हैं कि हत्याओं को मौत मिले अन्वथा वे फांसी लगा लेंगी। सियासत करने पहुंच रहे हर नेता से दोनों बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं। बेटियों के सुलगाते सवालनों से शासन और प्रशासन दोनों कटपरे में हैं। बेटियां पुलिस से पूछ रही हैं कि उनके पिता का मोबाइल फोन कहाँ गायब है? उनके पिता सुनील की हत्या करने के बाद अपराधी उनका मोबाइल ले गए या किसी अन्य व्यक्ति ने मोबाइल गायब कर दिया? एडीजी अभय कुमार प्रसाद ने भी 72 घंटे के अंदर हत्याओं को सलाखों के पीछे करने की बात कही थी, लेकिन उनका दावा भी नेता का बयान ही साबित हुआ।

हत्याकांड पर व्यापारी समुदाय नाराज़

व्यापारी हत्याकांड और पुलिस की नाकामी के खिलाफ पिछले दिनों सिद्धार्थनगर, सीतापुर, वाराणसी, लखीमपुर, हरदोई व कुछ अन्य जिलों से आए व्यापारियों ने लखनऊ के व्यापारियों के साथ मिल कर राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में वैश्य समाज, जायसवाल समाज एवं व्यापार मंडल के सदस्य शामिल थे। इनमें जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जायसवाल, लखनऊ स्थित मनकामेश्वर मंदिर की महंत्वा भी दिव्या गिरी, विधायक अजय राज, अखिल भारतीय उद्योग मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप वंसल, विकास जन कल्याण सेवा समिति के मुख्य संरक्षक विजय गुप्ता, अखिल भारतीय उद्योग मंडल के महामंत्री सुरेश छबलानी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के सचिव मनीष जायसवाल, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष सतीश गुप्ता, नवयुवक जायसवाल समाज के अध्यक्ष राजेश जायसवाल और वैश्य महासभा के महासचिव राजकुमार गुप्ता समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सीतापुर पुलिस के नाकरापेन के आधार पर इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की।

सरकार और प्राइवेट स्कूलों ने मिल कर मार डाला सरकारी स्कूलों को

किताबें नहीं, ड्रेस ज़रूरी

उत्तर प्रदेश में उड़ रही हैं सर्व शिक्षा अभियान की धजियां



शिक्षा में भी वर्गीय भेदभाव का नायाब नमूना : बुंदेलखंड का एक सरकारी विद्यालय (बाएं) और लखनऊ का आलीशान (प्राइवेट) ला मार्टिनियर स्कूल...



सूफ़ी यायावर

उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों की चांदी है और सरकारी स्कूलों की हालत दिन पर दिन और खस्ता होती जा रही है. केग की रिपोर्ट भी यह कहती है कि 2010 से लेकर 2016 तक प्राइवेट स्कूलों में नामांकन 36.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रतिशत करीब 17 प्रतिशत घट गया. केग की यह रिपोर्ट पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान रखी गई और इस चिंता जताने का प्रहसन भी खेला गया. विधानसभा में चिंता की औपचारिकताओं के बीच यह बात भी सामने आई कि 2012 से 2016 के बीच साढ़े छह लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें ही नहीं मिलीं, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड की कोई कमी नहीं. स्पष्ट है कि फंड कहाँ गया. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर खर्च किए गए 1.16 लाख करोड़ रुपये (17.7 अरब डॉलर) के बावजूद यह स्थिति है. स्थिति कितनी शर्मनाक है, यह आप समझ सकते हैं. यूपी के स्कूलों में बिना किताबों के पढ़ाई चल रही है. कर्मियोंखोरी के चक्कर में सरकारी किताबें नहीं छापी जा सकीं. कुछ स्कूलों में बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाया जा रहा है. चारों तरफ नारे लगे रहे हैं, 'पढ़ेगा इंडिया तो बड़ेगा इंडिया', लेकिन ये नारे व्यवहारिक तौर पर नपुंसक साबित हो रहे हैं. प्रदेश के बच्चे उन किताबों से ही वंचित हैं जो उन्हें सरकार से मुफ्त में दी जाती हैं. सरकार को बच्चों की किताबों के लिए कोई फिक्र नहीं, लेकिन स्कूल ड्रेस की काफी फिक्र है. सारे सरकारी स्कूलों के ड्रेस बदल दे गए हैं. इसके पीछे भीषण कमीशनखोरी के खेल की चारों तरफ चर्चा है.

योगी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के ड्रेस में बदलाव और नो-वेग-डे जैसे फार्मूले तो लागू कर दिए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का कोई भी कारगर नहीं हो रहा. प्रदेश की स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 में पढ़ने वाले महज 7.2 फीसदी और 5 में पढ़ने वाले 24.3 फीसदी बच्चे ही कक्षा दो के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं. कक्षा 5 के महज 10.4 फीसदी बच्चे गणित में भाग का सवाल कर सकते हैं. यूपी के तमाम प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं. पांचवीं तक के स्कूलों में बहुमुश्किल दो से तीन अध्यापक होते हैं. इन अध्यापकों के जिम्मे न केवल पांच कक्षाओं के बच्चों का सिलेबस पूरा कराना होता है बल्कि मिड डे मिल, जनगणना, प्रबंधकीय कामकाज उन्हीं के कंधों पर होता है. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर स्कूलों में दो से तीन कमरे ही बने हैं, जिनमें पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है. ज्यादातर स्कूलों में टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को दरि पर बैठना पड़ता है. गंदे क्लास रूम और उजड़ी हुई दीवारों प्राथमिक शिक्षा की बदहाली बयान करती हैं. सरकारी स्कूलों में पीने दो लाख शिक्षकों की कमी है. इस तरह देशव्यापी स्थिति देखें तो पांच साल में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले में 17 मिलियन छात्रों की बढ़ोतरी हुई तो सरकारी स्कूलों में 13 मिलियन छात्रों का दाखिला कम हुआ. 2010-11 और 2015-16 के बीच 20 राज्यों में सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन 13 मिलियन तक नीचे गिर गया, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने 17.5 मिलियन नए छात्रों का नामांकन हुआ. एक अध्ययन के अनुसार भारत के सार्वजनिक-विद्यालय शिक्षा संकट के अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं.

दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा निर्धारित भाषा शिक्षकों से सम्बन्धित सूची-टीईटी परीक्षा सिद्धांत मानदंडों के विपरीत कराए जाने के सम्बन्ध में दाखिल जनाहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दिए गए हलफनामे से निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के अनुपालन की बुरी स्थिति सामने आई है. वैसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार आरटीई एक्ट में निजी स्कूलों द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले

प्रवेश के नियम का अनुपालन प्रदेश में पहली बार वर्ष 2013-14 में हुआ जब मात्र 60 छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला था, जबकि आरटीई एक्ट वर्ष 2009 में ही लागू हो गया था.

इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में मात्र 54, 2015-16 में 3,135 तथा 2016-17 में 14,898 छात्रों को निजी स्कूलों में आरटीई एक्ट में दाखिला मिला. हलफनामे में दी गई सूचना के अनुसार इनमें लखनऊ में 2465, वाराणसी में 23, आगरा में 2005, वाराणसी में 1851 और गाँवा में 66 छात्र थे. वर्तमान अकादमिक वर्ष 2017-18 में अब तक

दाखिला नहीं लिया. सिटी मांटेसरी की देखा-देखी भाजपा नेता सुधीर हलवासिया ने अपने विद्यालय नवयुग रेडियंस में 25 बच्चों का, जगदीश गांधी की दूसरी पुत्री सुनीता गांधी ने अपने विद्यालय सिटी इंटरनेशनल में 12 बच्चों का, डॉ. वीरेंद्र स्वामी पब्लिक स्कूल महानगर ने 2 बच्चों का और सेंट मेरी इंटरमीडिएट कॉलेज की दो शाखाओं ने 11 बच्चों का दाखिला नहीं लिया. कुल मिला कर 105 बच्चों को दाखिला न देकर इन विद्यालयों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सरसम उल्लंघन किया. यही हाल मौजूदा सत्र में भी हो रहा है. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में भी

नतीके से काम करने पर अंकुर लगाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए और जो निजी विद्यालय सरकार का नियम-कानून मानने को तैयार नहीं हैं, उनका संचालन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश जन-मंच ने मांग की है कि सरकारी प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने कम उपस्थिती वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला करके सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाने का काम किया है. यह प्रदेश की पहले से ही जर्जर प्राथमिक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और बर्तन बनाएगा. सरकार का यह फैसला नागरिकों को

किताबों से पक रहा मिड-डे मील

एक तरफ स्कूलों में किताबें नहीं तो दूसरी तरफ कई स्कूलों में किताबें ही इंधन का काम कर रही हैं. इन स्कूलों के प्रबंधन का कहना है कि बच्चों के लिए किताबों से अधिक जरूरी मिड डे मील है. बस्ती जिले के सदर ब्लॉक डारडीहा में ऐसा ही नायाब याकना सामने आया है. वहाँ के एक प्राइमरी स्कूल में किताबों को जलाकर मिड-डे मील तैयार किया जा रहा था. स्कूल के प्रबंधन ने कहा कि बच्चों के लिए खाना जरूरी था. इंधन के लिए स्कूल के पास फंड उपलब्ध नहीं है. सरकारी स्कूलों में किताबें सरकार की ओर से दी जाती हैं, इसलिए उन किताबों को ही मुफ्त का इंधन बना लिया जाता है.



मात्र 13,364 छात्रों का चयन निजी स्कूलों में दाखिले हेतु किया गया है. प्रदेश में हर वर्ष कई लाख छात्र कक्षा एक में प्रवेश लेते हैं, वहीं उनमें मात्र दस हजार छात्रों का निजी स्कूलों में दाखिला अत्यंत निराशाजनक स्थिति है और यह वैसिक शिक्षा विभाग की निष्क्रियता को दिखाता है. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में 25 प्रतिशत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अपने पड़ोस के किसी भी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक नि:शुल्क पढ़ने का अधिकार है. शैक्षणिक सत्र 2015-16 में लखनऊ के जिलाधिकारी ने 31 बच्चों के दाखिले का आदेश शहर के जाने-माने सिटी मांटेसरी स्कूल की इंदिरा नगर की शाखा में किया. उच्च न्यायालय में महीनों चली लड़ाई के बाद उन 13 बच्चों के दाखिले का आदेश हुआ, जिनका घर विद्यालय से एक किलोमीटर के दायरे में था. सर्वोच्च न्यायालय के कारण ये बच्चे अभी सिटी मांटेसरी स्कूल में टिके हुए हैं. सीएमएस स्कूल समूह के संस्थापक-प्रबंधक जगदीश गांधी और उनकी शिक्षाविद पुत्री गीता गांधी किंगडन ने उन बच्चों को अपने स्कूल से निकालने की पूरी कोशिश की.

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सिटी मांटेसरी की विभिन्न शाखाओं में 55 बच्चों के दाखिले का आदेश हुआ लेकिन फिर जगदीश गांधी ने अड़ंगा लगा दिया और एक भी

उपयुक्त विद्यालय बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे. कानपुर शहर में डॉ. वीरेंद्र स्वामी, चिंतन पब्लिक व स्टेपिंग स्टोन पब्लिक स्कूल जैसे विद्यालय इस वर्ष दाखिला नहीं ले रहे. इस तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत दाखिला न लेने वाले विद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्होंने मिलकर राष्ट्रीय कानून का मजाक बना कर रख दिया है. सामाजिक संगठनों की मांग है कि इन विद्यालयों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इनके संचालकों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए.

जिस तरह गुजरात में कानून लाकर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15 हजार रुपये सालाना, माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 हजार रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 27 हजार रुपये सालाना की सीमा तय की गई है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी निजी विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की सीमा तय होनी चाहिए. इस कानून को पारित कराने समय गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुबरा ने कहा था कि शिक्षा सेवा का कार्य है कोई व्यवसाय नहीं. जिन्हें पैसा कमाना है वे कोई कारखाना लगाएं, व्यापार करें, स्कूल न खोलें. ठीक ऐसा ही रुख उत्तर प्रदेश सरकार का भी होना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडेय का कहना है कि निजी विद्यालयों के मनमाने

नतीके से काम करने पर अंकुर लगाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिए और जो निजी विद्यालय सरकार का नियम-कानून मानने को तैयार नहीं हैं, उनका संचालन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश जन-मंच ने मांग की है कि सरकारी प्राइमरी विद्यालयों को बंद करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने कम उपस्थिती वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला करके सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाने का काम किया है. यह प्रदेश की पहले से ही जर्जर प्राथमिक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और बर्तन बनाएगा. सरकार का यह फैसला नागरिकों को कल्याणकारी राज्य देने के संवैधानिक दायित्वों से मुंह चुराना है. निजी विद्यालयों और कॉर्पोरेट शिक्षा प्रणाली के पक्ष में लिए गए इस निर्णय से छात्राएं और दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के वंचित वर्ग की बुनियादी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. सरकार का यह तर्क कि जिन विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम है उसे बंद किया जाएगा, वंचित समुदाय के प्रति नाइंसाफी है, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति कम होने का कारण सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आक्रोश जताते हुए कहा था कि इसका हल यही है कि राजनेतियों और अधिकारियों के बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाया जाए तभी सरकारी विद्यालयों की दशा में सुधार हो सकता है. गौरतलब है कि प्रदेश में पहले से ही स्कूल नहीं जा सकने वाले बच्चों की बढ़ी तादाद है. ड्यूआउट दर भी तकरीबन 55-60 फीसदी है. मोदी सरकार बाल श्रम में कार्यरत बच्चों के विशेष स्कूल अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में बंद कर चुकी है. मर्जर के नाम पर स्कूल बंद करके प्रदेश सरकार शिक्षाधिकार कानून के अनुसार 9 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा पहुंचाने के संवैधानिक दायित्व से भी मुक्त रही है. इसलिए प्रदेश सरकार को इस फैसले को वापस लेकर स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने का काम करना चाहिए. जन मंच की समन्वयक डॉ. वीणा गुप्ता का कहना है कि बुनियादी शिक्षा हर धर्म और जाति के प्रत्येक बच्चे का हक है. जब तक इन स्कूलों में बच्चे हैं, भले ही कम हों, पर संविधान इन स्कूलों को बंद करने की इजाजत नहीं देता. शिक्षा के बिना विकास कैसे हो सकता है! सरकार ने इस फैसले से सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को मदद पहुंचा कर शिक्षा के बाजारिकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है. प्रदेश के 50 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में बुनियादी संरचनाओं के साथ अध्यापकों का बहुत अभाव है. न पुस्तकालय हैं न प्रयोगशालाएं. शौचालयों व खेल के मैदान की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है. तराई के बाघमुरत क्षेत्रों में बरसात में पानी भरा रहता है, उसके बाद महीनों पानी सूखने में लगता है. पढ़ाई का आधा सत्र बीत जाने के बाद किताबें पहुंचती हैं, पुनिफॉर्म और बस्ते के स्कूल तक पहुंचने की कोई समय सीमा नहीं है, सब सरकार और नौकरशाही की मर्जी पर है. अध्यापक तीन आश्रयक ड्यूटी जगमगाना, चुनाव और आदात के अतिरिक्त कोई ड्यूटी नहीं करेंगे, ऐसा कानून बन जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया जाता. आज भी महीनों तक प्राइमरी के अध्यापक बोर्ड में ड्यूटी करने और कांपी जांचने को मजबूर हैं. इस अवधि में स्कूल बंद रहते हैं. स्पष्ट है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए गंभीर नहीं है. प्रदेश सरकार का दायित्व है कि स्कूलों की गुणवत्ता सुधारें की भी उपस्थिती सुनिश्चित कराए. नागरिक समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे सरकार को उसका दायित्व याद दिलवाएं. डॉ. वीणा गुप्ता ने प्रदेश की सभी संस्थाओं और संगठनों से भी अपील की है कि प्रदेश के बच्चों और भावी पीढ़ी के सुन रहे ध्वज के लिए और शिक्षाधिकार कानून में वरिष्ठ पदों के अधिकारों के लिए आगे आएं और जल्दतर बच्चे तो सीधे संघर्ष के लिए तैयार रहें. ■

मुंगेर नक्सली हमले पर आया अदालती फैसला

पुलिस अनुसंधान पर उठा सवाल

पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाने वाले मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम न्योतिस्वरूप श्रीवास्तव नक्सलियों के निशाने पर आ गए हैं। नक्सलियों ने जब अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को ही सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। नक्सली संगठन ने धमकी देते हुए कहा है कि जब अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को सजा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के अनुसार न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामला यहीं नहीं थमा है, इसके बाद गंगटा थाना क्षेत्र के कूनोंली जमघट दरियापुर में नक्सलियों ने दो दिन की बंदी की घोषणा के बाद परचा साठकर अपनी गंशा का इजहार किया है।

कुमार कृष्ण

माओवादी सीआरपीएफ के जवानों को लगातार अपना निशाना बनाते आए हैं। बस्तर से लेकर झारखंड और देश के कई हिस्सों में घंटित घटनाएं इसका प्रमाण हैं। चुनाव के दौरान तो नक्सली वोट बहिष्कार के नारे के साथ खूनी खेल खेलने को तैयार रहते हैं। 2014 में ऐसी ही एक घटना नक्सल प्रभावित मुंगेर के हवेली खड़गपुर में घटी थी, तारीख 10 अप्रैल 2014। तबके सुबह 3.30 बजे भीमवांध से वाहनों पर सवार होकर सीआरपीएफ की 131वीं बटालियन के जवान निकले थे। सवा लाख बाबा स्थान से लगभग 200 गज की दूरी पर वाहन लगा कर जवान पैदल चलने लगे। कुछ जवान वाहन में रह गए। इसी दौरान सबसे पीछे वाले वाहन के पास जोरदार धमाका हुआ। नक्सलियों ने लैंडमाइंस विस्फोट किया था, धमाके के तुरंत बाद पत्थरों की ओट लेकर नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करने पर नक्सली अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की ओर भाग निकले। दोनों ओर से लगभग 200 गोलियां चलीं। इस हादसे में सीआरपीएफ के हवलदार कर्नाटक के निवासी सोने गौरा और बिहार में हाजीपुर के निवासी विन्दि कुमार राय शहीद हो गए। साथ ही अशोक बसेरा (जमुई), राघवेंद्र सिंह (उत्तर प्रदेश), विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश), धर्मात्मा कुमार सिंह (आरा), रामपाल (उत्तर प्रदेश), विक्रम सिंह (उत्तर प्रदेश), धर्मपाल (हरियाणा), मनोज यादव (हाजीपुर) सहित 10 जवान घायल हो गए। नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान माओवादी जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये गंगटा जंगल की ओर फरार हो गए थे। इसी आधार पर मुंगेर के गंगटा पुलिस आउटपोस्ट में 16 जनों के खिलाफ नामजद एफ.आई.आर दर्ज की गई थी। 29 अक्टूबर 2014 को इनमें से एक नक्सली अधिक लाल पंडित हवेली खड़गपुर के पहाड़ीवात गांव से और दूसरा रू कोड़ा जमुई लक्ष्मीपुर के चौकीगांव गांव से पुलिस के हथियार चढ़ गए। इन दोनों ने मुठभेड़ में शामिल होने की बात कतूली और तीन अन्य लोगों के भी नाम बताए। इनकी निशानेदारी पर हवेली खड़गपुर के विपिन मंडल, लखीसराय के कजर बरामशिवा गांव के बानो कोड़ा और मरू कोड़ा को पुलिस ने दबोचा था। हालांकि अन्य नामजद को पुलिस अवगत नहीं हुई पाई है, जिसमें प्रवेश उर्फ अनुरा द, गोपाल दास, बबलू दास, सिद्धु कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, बाबूलाल यादव, पूना कोड़ा, पिंटू राणा, अनिल कोड़ा, फुलचंद्र कोड़ा वगैरह प्रमुख हैं।



शहीद को तिरंगे की सलामी



फांसी की सजा पाए नक्सली

धाराओं में प्रमुख रूप से भादवि की धारा 149, 121 (ए), 122, 124, 27, 134 (बी) एवं यूपीपी की धारा 16, 17, 18, 20, 23 एवं 35 शामिल हैं। धारा 121 (ए), 122, 124 के अनुसार नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह सिद्ध किया जाना था। अदालत ने पांचों नक्सलियों रू कोड़ा, अधिक लाल पंडित, विपिन मंडल, बानो कोड़ा और मरू कोड़ा के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 353, 147, 148, 341, 307 और 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख पचहत्तर हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया।



नक्सली जिन्हे फांसी की सजा सुनाई गई



अपर लोक अभियोजक संदीप भट्टाचार्य का कहना है कि अदालत ने इस मामले को रैपेड ऑफ द रेपर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह बिहार का पहला मामला है जिसमें सी घटना में इस तरह की सजा सुनाई गई है। यदि तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक रंजन कुमार राष्ट्रद्रोह के लिए आदेश का प्रस्ताव बिहार सरकार को समर्पित करते तो सरकार के आदेश के बाद इन नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह जैसे मामलों में भी सजा मिल सकती थी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट की सजा से भी नक्सली बच निकले। 134(बी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं यूपीए 16, 17, 18, 20, 23 एवं 35 के मुताबिक संज्ञान होने तक रंज 2013 अधिनियम स्वीकृत्यादेश आना था, जो विलंब से 17 फरवरी 2017 को मिला। नियमानुसार एक सप्ताह में ही प्राम कर्ना है। 15 जनवरी 2015 को अनुसंधानकर्ता ने आरोप पत्र दाखिल किया। 27 फरवरी 2015 को अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और इसके बाद 17 गवाहों का परीक्षण किया गया।

हत्या में शामिल माओवादियों को सजा नहीं मिली है। यह मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है।

मिल पा रहा है। आईजी ऑपरेशन कुंदन कृष्ण ने कहा कि कुछथात नक्सलियों की संपत्ति जप्त करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास बात यह है कि राज्य के 40 जिलों (दो पुलिस जिला सहित) में से सिर्फ 11 जिलों में ये नक्सली सक्रिय हैं, जिन्होंने पूरे तंत्र की नाक में दम कर रखा है। सबसे अधिक 12 मोस्ट वांटेड मुंगेर के पड़ोसी जिले जमुई जिले के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पर गया जिला है, जहां के 9 नक्सली स्पेशल टास्क फोर्स की लिस्ट में हैं। इसके अलावा औरंगाबाद के 5, जहानाबाद के 2, रोहतास के 3, पूर्वी चंपारण के 2, बगहा के 3, मुंगेर के 3, बांका के 2, लखीसराय के 2 व समस्तीपुर के 1 नक्सली पर राज्य सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है। इनमें चार ऐसे नक्सली हैं, जिनकी तलाश केंद्र व राज्य की एजेंसियों को है। अरविंद जी उर्फ अरविंद कुमार सिंह उर्फ देव संदूल कमेटी का सदस्य है। प्रवेश दा पूर्वी बिहार-पूर्वी झारखंड एरिया का सचिव है, विजय यादव उर्फ संदीप जी भाकपा (माओवादी) की मध्य एरिया कमेटी का सचिव है। राजन जी उत्तर बिहार एरिया कमेटी का

सचिव है। कहा जाता है कि नक्सली वारदातों और सुरक्षा बलों पर हमले की रणनीति बनाने में इनको महारत हासिल है। वांटेड नक्सलियों में गुरिल्ला कमांडर लालमोहन यादव और स्पेशल प्लाटून कमांडर मनोज हांसदा भी हैं। चार-पांच नक्सलियों की संपत्ति जत्ती की कार्रवाई शुरू होगी। सुझों के अनुसार जहानाबाद के हाडकॉर नक्सली प्रदुमन शर्मा की अवैध संपत्ति जप्त करने का प्रस्ताव ईडी के पास है। 5 लाख के इनामियों में विजय यादव उर्फ संदीप जी, भाकपा (माओवादी) की मध्य एरिया कमेटी का सचिव, निवासी-गया जिले के इमगामथं शाने के लुट्टा टोला, बाबूराम डीह के अरविंद जी उर्फ अरविंद कुमार सिंह उर्फ देव, भाकपा (माओवादी) की संदूल कमेटी का सदस्य, निवासी-जहानाबाद के करीना थाना क्षेत्र का सुकुल चक, रामबाबू राम उर्फ राजन जी, भाकपा (माओवादी) की उत्तर बिहार एरिया कमेटी का सचिव, निवासी-मोतिहारी के मधुवन थाना के कौरिया के और प्रवेश दा उर्फ अनुरा द उर्फ अमलेश दा, भाकपा (माओवादी) के पीबीपीजे (पूर्वी बिहार-पूर्वी झारखंड) का सचिव, निवासी-हजारीबाग के विश्वनाथ शाने के भंडोरी शामिल हैं।

feedback@chauthiduniya.com

इस हादसे के तीन साल बाद मुंगेर कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें पांच नक्सलियों को अर्धदंड के साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाने वाले अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्योतिस्वरूप श्रीवास्तव की टिप्पणी थी कि यह विचारधारा समाज और तंत्र के विपरीत काम करती है। आरोपियों ने हमारे सिस्टम पर प्रहार किया है क्योंकि जवान उस दिन निर्वाचन कार्य कराने जा रहे थे। यह एक जघन्य अपराध है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में मैसजे जाना जरूरी है कि इस तरह अपराध करना गलत है। दूसरी ओर पुलिस के अनुसंधान पर भी न सिर्फ सवाल उठाया गया, बल्कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखकर नाराजगी का इजहार किया गया। नक्सली मुठभेड़ मामले में अनुसंधानकर्ता सह निवर्तमान खड़गपुर पुलिस उपाधीक्षक रंजन कुमार थे। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर रंजन कुमार पर कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने बताया है कि अनुसंधानकर्ता की लापरवाही के कारण ही सभी नक्सलियों के विरुद्ध कई मुख धाराएं नहीं लगाई गईं। इनमें से सबसे प्रमुख धारा के अंतर्गत सभी नक्सलियों को राष्ट्रद्रोह की गतिविधि के दायरे में लाया जाना था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्योतिस्वरूप श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए जजमेंट की कॉपी उन्हें भेजी है। नक्सलियों को कुल 16 धाराओं में सजा सुनाया जाना था। इन 16 धाराओं में कुछ ऐसी धाराएं थीं, जिनपर अनुसंधानकर्ता ने गंभीरता से काम नहीं किया। नवीजतन नक्सलियों को इन धाराओं में सजा नहीं सुनाई जा सकती। इन

पांच नक्सलियों को मौत की सजा सुनाने वाले मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम न्योतिस्वरूप श्रीवास्तव अब नक्सलियों के निशाने पर आ गए हैं। नक्सलियों ने जब अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को ही सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। नक्सली संगठन ने धमकी देते हुए कहा है कि जब अदालत लगाकर फांसी की सजा सुनाने वाले जज को सजा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के अनुसार न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामला यहीं नहीं थमा है, इसके बाद गंगटा थाना क्षेत्र के कूनोंली जमघट दरियापुर में नक्सलियों ने दो दिन बंदी की घोषणा के बाद परचा साठकर अपनी गंशा का इजहार किया है।

5 जनवरी 2005 को कांबिंग ऑपरेशन कर लौट रहे मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू सहित छह पुलिस जवानों को सोनवा गांव के पास बारूदी सुरंग विस्फोट कर माओवादियों ने उड़ा दिया था। बारूदी सुरंग विस्फोट में तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू के साथ जवान ध्रुव ठाकुर, ओपी गुप्ता, मो. अंसारी, मो. इस्लाम एवं शिव कुमार राम शहीद हो गए थे। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती कहते हैं कि इस मामले में 22 लोगों पर आरोपपत्र दाखिल हुआ है। कथ्यों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। जबकि एक नक्सली चिराग दा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। दो अन्य की स्वाभाविक मौत हुई है। इस मामले के तीन संदिग्धों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। तीन संदिग्धों की रिहाई के बाद सरकार ने वर्ष 2013 में कांड का अनुसंधान फिर से शुरू कराया है। मजे की बात यह है कि राज्य के 11 जिलों के 44 मोस्टवांटेड नक्सलियों के पीछे सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के करीब 10 हजार जवान लगे हैं। सीआरपीएफ की साढ़े आठ बटालियन फोर्स इस ऑपरेशन में लगाई गई हैं। इन नक्सलियों पर राज्य सरकार ने 25 हजार से 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित कर रखे हैं। इनमें से कोई 12 तो कोई 20 मामलों में फरार चल रहा है, लेकिन इतने बड़े तंत्र को श्रोकने के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बलों को इन नक्सलियों का सुराग नहीं

ज्यादा का नया फायदा

TVS जुपिटर

घर लाने के नये फायदे

100% फ्लैडजे

₹ 9991-की न्यूनतम किस्त

6.99% आकर्षक व्याज दर

GOAL IIT-JEE MEDICAL

INDIA'S NO. 1 INSTITUTE IN RESULT RATIO

Some of the selected GOAL students in various Medical Entrance Examinations 2016 at S. K. Memorial Hall, Patna

GOAL PROGRAMS

PRE FOUNDATION PROGRAM | FOUNDATION PROGRAM | TARGET PROGRAM | ACHIEVER PROGRAM | TEST & DISCUSSION PROGRAM

GOAL CORPORATE BRANCHES

Boring Road | Kankarbagh | Nayatola | Gola Road | Goal Education Village

GOAL other Branches:

DELHI | RANCHI | DHANBAD | BHILAI | RAIPUR

FACILITIES

LIBRARY | HOSTEL | TRANSPORT | SEPARATE BATCH FOR BOYS & GIRLS

9334594165/66/67 | www.goalinstitute.org

पुल की राजनीति में उलझा दांव

इश्रादिल हक

ए सा मेहगा नहीं होता कि किसी खास मुद्दे पर सत्य सिर्फ एक ही हो...

हैं. एक आरा और छपरा के बीच तो दूसरा पटना के दीघा और सोनपुर के बीच...



का काम बताया तो सीडिया को भी टीआरपी के चक्कर में इस मुद्दे को हवा देने का कारण बताया...

कि मौजूदा सड़क पुल का जो लोकार्पण आज हुआ है यह, लालू जी के कठिन परिश्रम से ही बन सका है...

सेतु बनाते हैं. इसी दौरान कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी ने जमकर लालू और तेजस्वी का साथ दिया...

पूर्वी चम्पारण में खुलेगा लीची प्रशोधन केन्द्र

राकेश कुमार

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं...



लाख करोड़ के व्यवसाय पर केवल चीन का कब्जा है. चीन भारत से पैसा कमाकर ले जाता है और उसी पैसे से पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत के खिलाफ फंडिंग करता है...

यहीं जब बाबा मोहन सिंह चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के मौके पर बाबा रामदेव के साथ मोतिहारी के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे...

इस मौके पर बाबा मोहन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया...

Advertisement for Ariskon Pharma Pvt. Ltd. featuring various health products like ACOPA CAP/SYP/INJ, Carbo-KT, ARES, ASRFEN-P, ECTALOPAM, and SILIPEX with their benefits.

बाबा रामदेव का चम्पारण प्रवास कई भायनों में लोगों को एक सुखद अहसास दे गया. एक विशेष भेंट में बाबा रामदेव ने कहा कि महारत्ना गांधी स्वदेशी वस्त्रों के उपयोग की बात करते थे...

चम्पारण लीची उत्पादन में सबसे आगे है और यहां का लीची सबसे ज्यादा सुसुवाद होता है. चम्पारण प्रवास में बाबा रामदेव ने चम्पारण का ऐलाप किया...

इस मौके पर बाबा मोहन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया...

उन्होंने कहा कि चारा खाने वाले एवं देश पर साठ साल तक राज करने वाले आज किसानों के हितेषी बनने का प्रयास कर रहे हैं...

Advertisement for CRM TMT BAR, highlighting its strength (Fe-500), quality (ISO 9001-2000 Certified), and availability (Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA).

जौहर की आत्मकथा से खुले राज



जव 2001 में करण जौहर की फिल्म 'कभी खुरी कभी गम' रिलीज होने वाली थी, तो उस वक़्त करण जौहर बेहद घबराए हुए थे. उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि उसी वर्ष आमिर खान की फिल्म 'लगान' ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फरहान अख्तर की फिल्म 'दिल चाहता है' ने भी जमकर बाहवाही और सफलता दोनों बटोरी थी. इन दो बेहद सफल फिल्मों के बाद करण की फिल्म 'कभी खुरी कभी गम' को रिलीज होना था. करण ने अपनी संस्मरणायत्मक किताब 'एन अनसुटेबल बॉय' में इस पूरे प्रसंग पर विस्तार से लिखा है. करण ने माना है कि उनको इस बात का डर था कि वे आमिर खान और फरहान अख्तर के स्तर को छू पाएंगे या नहीं. इस साल जनवरी में जब करण जौहर की 'एन अनसुटेबल बॉय' प्रकाशित हो रही थी, तो उसी वक़्त ऋषि कपूर की आत्मकथा 'खुल्लम खुल्ला' भी प्रकाशित हो रही थी या हो चुकी थी. फिल्म के दर्शकों की तरह दोनों किताबों को लेकर पाठकों के बीच एक उत्सुकता का माहौल था. करण जौहर के संस्मरणों की किताब 'एन अनसुटेबल बॉय' में उनके बचपन से लेकर अबतक की कहानी है, कहीं विस्तार से तो कहीं बेहद संक्षेप में. करण ने अपनी फिल्मों की तरह अपनी इस किताब में भी इमोशन का तड़का लगाया गया है. करण जौहर जब अपने बचपन आदि के बारे में बहुत विस्तार से लिखते हैं, तो कई बार इस बात का अहसास होता है कि किताब के संपादन में थोड़ी निमंमता की आवश्यकता थी. आम पाठक तो फिल्मी शख्सियतों की किताब में फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानियाँ, गॉसिप, अफेयर्स, लगाव-विह्व, पारिवारिक कलह आदि के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं. करण जौहर की शख्सियत के साथ उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर काफी बातें होती रहीं हैं. अपनी इस किताब में करण जौहर ने अपने सेक्स लाइफ के बारे में विस्तार से लिखा है. एक संपूर्ण फिल्मकार की तरह करण ने अपनी शख्सियत से जुड़े उस पहलू को उभारने की कोशिश की है, जिसकी जिज्ञासा पाठकों में सबसे ज्यादा है. करण जौहर ने ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका


सेक्स लाइफ छब्बीस साल की उम्र में अमेरिका में शुरू हुआ था, लेकिन पहले दोनों मौकों पर वे निराशा हुए थे. करण जौहर ने लिखा है कि लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में संबंध बनाने की छूट और आजादी दोनों रहती है, जो कि बहुत हद तक बॉलीवुड के खुलेपन से बनता है. करण कहते हैं कि लोग उनके बारे में भी सोचते हैं कि वे बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं, लिहाजा महिलाओं से संबंध बनाते रहते होंगे. करण के मुताबिक, इस तरह की सोच उचित नहीं

मासूम गुजराती परिवारों से आते थे, जिन्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता था, खाना-पीना-चूटना पसंद था, पर बड़े उम्र के साथ सेक्स का ना तो कोई ज्ञान था और ना ही उसमें किसी की रुचि. करण जौहर ने 'एन अनसुटेबल बॉय' में इसपर भी एक पूरा अध्याय लिखा है. इसी तरह करण ने शाहरुख खान से अपनी दोस्ती और उनके साथ अपने संबंधों पर भी एक अध्याय लिखा है. ऐसा प्रतीत होता है कि करण ने शाहरुख के साथ अपनी

संतान होने के दंश को भी करण ने बेहतर तरीके से पेश किया है. करण इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते थे. उनके साथी उन्हें खेप कहा करते थे. अपने हावभाव में करण अपने हाथों को इस तरह से हिलाते थे कि दोस्तों को खेप कहकर चिढ़ाने का मौका मिल जाता था. इस शब्द को सुनकर करण बेहद परेशान हो जाता करते थे. बाद के दिनों में करण ने अपने बात करने के अंदाज को तो संवारा ही, अपने हाथों के मूवमेंट में बदलाव के लिए भी मेहनत की. हाथों के

थी. जब आदित्य चोपड़ा ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' के मार्फत निर्देशन की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, तो उन्होंने करण जौहर को भी अपने साथ काम करने के लिए राजी किया. करण ने आदित्य के अस्सिस्टेंट के तौर पर 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' में काम किया. करण ने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई. उन्होंने माना है कि 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' में आदित्य के साथ काम उनकी जिंदगी का अहम टर्निंग प्वाइंट रहा. इस फिल्म के बाद करण ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में बनाई. शाहरुख और गौरी खान से उनकी दोस्ती भी इस फिल्म के दौरान ही हुई. अपने पिता की मौत के बाद करण को फिल्मों की रचनात्मकता और कलात्मकता के अलावा वित्तीय प्रबंधन आदि भी देखना पड़ा था, लेकिन वे कहते हैं कि तब उनके स्कूल के दोस्त अपूर्व मेहता लंदन की अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गए और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन को संभाला. इस किताब के उपसंहार में करण जौहर ने लिखा है— मैं एक बच्चा चाहता हूँ, जो बुढ़ापे में मेरा ख्याल रख सके, क्योंकि बड़ती उम्र के साथ मुझे अकेलेपन से डर लगता है. वे मेरा सबसे बड़ा डर है. मौत से मुझे डर नहीं लगता, कभी-कभी जिंदगी ही डरती है. जनवरी में जब वे किताब आई थी, तो किसी को करण के संसुओं के बारे में नहीं पता था कि वे सैरोगैसी से पिता बनना चाहते हैं. हालांकि इस अध्याय में उन्होंने इसके पूरे संकेत दिए हैं. करण ने लिखा है— उम्र के इस दौर में वे एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं. वे बच्चा सैरोगेट होगा या फिर मुझे गोद लेना होगा. इस किताब के वक़्त वे कई प्रश्नों और ट्रेंड से मुठभेड़ कर रहे थे. क्या वे सिंगल पेरेंट की भूमिका का निर्वाह कर पाएंगे? क्या वे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों? क्या वे बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर पाएंगे? आदि आदि. तब लोगों ने ये कयास लगाए थे कि करण शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में सैरोगैसी से जुड़वा बच्चे के पिता बने हैं करण जौहर. इस लिहाज से अगर देखें, तो करण की ये किताब उनकी अबतक की यात्रा का स्मरण तो है ही, इसमें उन्होंने अपने भविष्य के भी कुछ संकेत दे दिए थे. 216 पृष्ठों की इस किताब की आरंभ संपादन के वक़्त चूल्हें कस दी जातीं, तो पाठकों के लिए और सूलकर होतीं. ■

anant.lbn@gmail.com



शाहरुख खान से अपनी दोस्ती और उनके साथ अपने संबंधों पर भी एक अध्याय लिखा है. ऐसा प्रतीत होता है कि करण ने शाहरुख के साथ अपनी दोस्ती पर ईमानदारी से कलम चलाई है. शाहरुख के अलावा काजोल से अपने संबंधों के टूटने की वजह भी उन्होंने बताई है. यहाँ जिस साफगोई से करण ने लिखा है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वरना आमतौर पर तो आत्मकथात्मक संस्मरणों में सच के आवरण में झूठ का पुलिंदा पेश किया जाता रहा है. करण ने बेहद साफगोई से अपने डिप्रेशन के दौर पर भी लिखा है, जिसमें अपने अकेलेपन से लेकर संबंधों के टूटने पर भी प्रकाश डाला है. इकलौती संतान होने के दंश को भी करण ने बेहतर तरीके से पेश किया है. करण इस बात को लेकर बेहद परेशान रहते थे. उनके साथी उन्हें खेप कहा करते थे. अपने हावभाव में करण अपने हाथों को इस तरह से हिलाते थे कि दोस्तों को खेप कहकर चिढ़ाने का मौका मिल जाता था. इस शब्द को सुनकर करण बेहद परेशान हो गया करते थे.

है, क्योंकि बॉर्डिंग पास का मतलब सेक्स का पास नहीं होता है. अपनी इस किताब में सेक्सुअल लाइफ पर करण ने काफी लिखा है और वे इस पर सफाई भी दे देते हैं. करण के मुताबिक, इस डिपार्टमेंट में वे बचपन में काफी कमजोर थे. उन्होंने ईमानदारी से माना है कि उनके और पिता के बीच उम्र का काफी लंबा अंतराल था और फिर उनके बारे में कोई ऐसा था नहीं, जो इस बारे में कुछ भी बता सके. अपने दोस्तों को करण गुड बॉय-गर्ल मानते हैं, जो कि

दोस्ती पर ईमानदारी से कलम चलाई है. शाहरुख के अलावा काजोल से अपने संबंधों के टूटने की वजह भी उन्होंने बताई है. यहाँ जिस साफगोई से करण ने लिखा है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वरना आमतौर पर तो आत्मकथात्मक संस्मरणों में सच के आवरण में झूठ का पुलिंदा पेश किया जाता रहा है. करण ने बेहद साफगोई से अपने डिप्रेशन के दौर पर भी लिखा है, जिसमें अपने अकेलेपन से लेकर संबंधों के टूटने पर भी प्रकाश डाला है. इकलौती

इसी अंदाज की वजह से उन्हें दोस्तों के ताने सुनने पड़ते थे. करण ने अपनी इस किताब में बॉलीवुड की कई शख्सियतों पर विपरीत टिप्पणी भी की है, जो इस वक़्त ना केवल सक्रिय हैं, बल्कि ताकतवर भी हैं. करण जौहर ने अपनी इस किताब में शाहरुख के अलावा यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा और फिल्म वितरक अनिल बडानी से अपनी दोस्ती को याद किया है. करण ने लिखा है कि तीनों हिंदी फिल्मों के दीवाने थे, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती परवान चढ़ी

बीपीएल चयन प्रक्रिया की जांच और आरटीआई

जिस देश की 37 फीसदी से ज्यादा आबादी गरीब हो, वहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि गरीबी से जुड़ी योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए. लेकिन व्यवहार में अब तक यहाँ देखने को मिला है कि गरीबों के विकास के लिए बनाई गई लगभग सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है. इस अंक में हम एक ऐसे ही मसले पर बात कर रहे हैं, जो सीधे-सीधे गरीबों के अधिकारों और उनके विकास से जुड़ा हुआ है, यानि बीपीएल सूची, जिसके आधार पर गरीबों को बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. ज़ारिह है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बहुत से लोग किसी भी प्रकार से अपना नाम बीपीएल सूची में शामिल करा लेते हैं. नतीजतन, जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन्हें वाकई सरकारी मदद की ज़रूरत होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं. इस अंक में एक ऐसा आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप बीपीएल सूची में पारदर्शिता बनाने का दबाव डाल सकते हैं और साथ ही सूची तैयार करते वक़्त इसमें होने वाली गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं या उनका खुलासा कर सकते हैं. हम उम्मीद



प्रतियां उपलब्ध कराएँ.
6. पुनः निरीक्षण (रिव्यू) के सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएँ.
7. सर्वेक्षण के दौरान किसी अनियमितता का मामला सामने आया है? यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूँ या मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूँ, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं. है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संकेत लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पारित दिनों की समयवधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराने समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएँ.



करते हैं कि आप इस आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे.

आवेदन का प्रारूप

बीपीएल के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण सेवा में, लोक सूचना अधिकारी (विभाग का नाम) (विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,ग्राम में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के सर्वेक्षण के सम्बंध में निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करें:

1. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के कितने कार्डधारी हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएँ:
 - क. कार्डधारक का नाम

ख. पिता का नाम
ग. कार्ड संख्या
घ. कार्ड पर सदस्यों की संख्या (यूनिट)

2. उपरोक्त कार्डधारियों का 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) का कार्ड किस आधार पर बनाया गया? इस सम्बंध में कार्डधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएँ.
3. उपरोक्त गांव में 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के परिवारों का सर्वेक्षण पिछली बार कब हुआ था? उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएँ साथ ही सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद बताएँ?
4. 'गरीबी रेखा से नीचे' (बी.पी.एल.) के परिवारों के सर्वेक्षण के समय परिवारों के चयन के लिए क्या मापदण्ड/मानक बनाए गए हैं? इस सम्बंध में समस्त शासनादेशों/नियमों एवं निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएँ.
5. उपरोक्त सर्वेक्षण के उपरांत क्या कोई पुनः निरीक्षण (रिव्यू) किया गया? यदि हाँ, तो समस्त दस्तावेजों की

ध्वनीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई खबर या सवाल है, तो हमें इमेल करें: rti@chauthiduniya.com



आपातकाल: भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय

1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया. सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरा के रूप में देखा. इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया. इसके अलावा, हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नीकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया. इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंद्वियों को अलग कर दिया जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गयी...

चौथी दुनिया ब्यूरो

26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था. तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अर्धीन आपातकाल की घोषणा कर दी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था. आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमाने की गई. इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया. प्रधानमंत्री के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाया गया. जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था.

दरअसल, 1967 और 1971 के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही संसद में भारी बहुमत को अपने नियंत्रण में कर लिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय, प्रधानमंत्री सचिवालय के भीतर ही केंद्र सरकार की शक्ति को केंद्रित किया गया. सचिवालय के निर्वाचित सदस्यों को उन्होंने एक खतरा के रूप में देखा. इसके लिए वह अपने प्रधान सचिव पीएन हक्सर, जो इंदिरा के सलाहकारों की अंदरूनी घेरे में आते थे, पर भरोसा किया. इसके अलावा, हक्सर ने सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा प्रतिबद्ध नीकरशाही के विचार को बढ़ावा दिया. इंदिरा गांधी ने चतुराई से अपने प्रतिद्वंद्वियों को अलग कर दिया जिस कारण कांग्रेस विभाजित हो गयी और 1969 में दो भागों, कांग्रेस (ओ) और कांग्रेस (आर) जो इंदिरा की ओर थी, में बंट गयी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सांसदों के एक बड़े भाग ने प्रधानमंत्री का साथ दिया. इंदिरा गांधी की पार्टी पुनः कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर व आंतरिक लोकतंत्र की परंपराओं के साथ एक मजबूत संस्था थी. दूसरी ओर कांग्रेस (आर) के सदस्यों को जल्दी ही समझ में आ गया कि उनकी प्रगति इंदिरा गांधी और उनके परिवार के लिए अपनी बकादारों दिखने पर पूरी तरह निर्भर करती है. चाडकॉरिता का प्रदर्शन उनकी दिनचर्या बन गया. आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह कॉन्सि विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय, राज्यों के



मुख्यमंत्रियों के रूप में स्वयं चुने गए बकादारों को स्थापित करती थीं. 1971 के आम चुनावों में, गरीबी हटाओ का इंदिरा का लोकलुभावान नारा लोगों को इतना पसंद आया कि पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक विशाल बहुमत (518 में से 352 सीटें) से जीता दिया. जीत के इतने बड़े अंतर के सम्बंध में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बाद में लिखा था कि कांग्रेस (आर) असली कांग्रेस के रूप में खड़ी है, इसे योग्यता प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है. दिसंबर 1971 में, इनके सक्रिय युद्ध नेतृत्व में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई. अगले महीने ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया

गया, वह उस समय अपने चरम पर थीं. तानाशाह होने का और एक व्यक्तिव पंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें युगों सामान माना. 1975 की तपती गर्मी के दौरान आचानक भारतीय राजनीति में भी बेचेनी दिखी. यह सब हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले से, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर छह वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

दरअसल, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज नारायण को एक लाख 11 हजार मतों से हराया था. राज नारायण ने इस चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की. आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव के दौरान कई कानून तोड़े हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं. मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंहा ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया. अगले छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी. साथ ही, जज ने कहा कि इंदिरा गांधी लोकसभा की बैठक में तो शामिल हो सकती हैं, पर वह सदन में मतदान नहीं कर सकतीं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 20 दिनों का समय दिया गया. न्यायमूर्ति ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में कहा कि प्रतिवादी को चुनाव कानून की धारा-123(7) के तहत दोषी पाया जाता है. उन्होंने जिलाधिकारी, एसपी,

पीडब्ल्यूडी के गजेटेड इंजीनियर से अपनी चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता ली. साथ ही उन्होंने एक गजेटेड कर्मचारी यशपाल कपूर की सेवाएं प्राप्त कीं. यह भ्रष्ट तरीके के इस्तेमाल की श्रेणी में आता है. अदालत ने यह भी पाया कि इंदिरा गांधी, पीएन हक्सर और यशपाल कपूर के कोर्ट में दिए गए बयान दस्तावेजों के तथ्यों से मेल नहीं खाते. अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया. इसके बावजूद इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुईं. यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा कि इंदिरा का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था. अपनी सांसदी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप दिया. सर्वोच्च नेता जयप्रकाश नारायण और प्रतिपक्ष के करीब एक लाख से भी अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेलों में दूंस दिया गया. प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लागू कर दी गई. आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा कि जब से मैं आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, सभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी.

आपातकाल लागू करने के लगभग दो साल बाद विरोध की लहर तेज़ होती देख, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश कर दी. चुनाव में आपातकाल लागू करने का फ़ैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ. खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गईं. जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. संसद में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 350 से घट कर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ. कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली. नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए फ़ैसलों की जांच के लिए शाह आयोग गठित की. हालांकि नई सरकार दो साल ही टिक पाई और अंदरूनी अंतर्विरोधों के कारण 1979 में सरकार गिर गई. उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कुछ मंत्रियों की दोहरी सस्यता का खवाल उठाया जो जनसंघ के भी सदस्य थे. इसी मुद्दे पर चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई लेकिन जो सरकार सिर्फ पांच महीने ही चली.



भूजल स्तर को बढ़ाने का कारगर उपाय है सोक-पिट

चौथी दुनिया ब्यूरो

क म होता भूजल स्तर आज संसद से लेकर सड़क तक एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. आम लोगों के लिए ये चिंता की बात तो है ही, सरकार की तरफ से भी समय-समय पर इसे लेकर बयान आते रहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में जल संकट से निबटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया था. पिछले ही साल भारत जल सप्ताह कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी कि भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी निवासी करती है, लेकिन जल उपलब्धता मात्र चार प्रतिशत है. भूजल स्तर को बढ़ाने के सरकारी प्रयासों के भूजल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अलग से 60,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की बात कही थी. हालांकि इस दिशा में सरकारी प्रयास रक़तर पकड़ते नजर नहीं आ रहे हैं. लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसे कई काम हो रहे हैं, जो भूजल स्तर को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं. ऐसा ही एक उपाय है, सोकपिट.

ऐसे बनाएं सोक-पिट

सो क पिट के लिए गट्टे की गहराई उसमें जाने वाली पानी की मात्रा पर निर्भर करती है. सामान्य परिवार के उपयोग के लिए एक सोक पिट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई लगभग 3 मीटर रखी जा सकती है. सोक पिट की तली में करीब 0.5 इंच मोटी बोल्डर की परत जमाई जाती है. उस बोल्डर के ऊपर बजरी और फिर उसके ऊपर करीब 0.5 इंच मोटी रेत की परत बिछाई जाती है. इसके बाद पिट को बारीक रेत से भरकर इसके निचले भाग में मिट्टी की पाल डाल दी जाती है. अगर मकान का अहलाता बड़ा हो या सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, यानि बहने वाले पानी की मात्रा ज्यादा हो, तो एक घर के आसपास करीब तीन-चार सोकपिट बनाए जा सकते हैं.



21 दिनों का जागरूकता अभियान चलाया था. इस अभियान से भी नीचे चला गया है. इसे ठीक करने के प्रयासों के तहत जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सोक पिट निर्माण का लक्ष्य रखा और उसे नियत समय सीमा में पूरा भी कर लिया गया. जिले भर के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, प्रखंड कार्यालयों व आंगनवाड़ी केंद्रों पर जिला प्रशासन ने सोक पिट का निर्माण कराया. साथ ही इसे लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया. सोक पिट निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने

जागरूक व जानकार लोगों की इसपर नजर पड़ी तो उन्होंने इसे सोक पिट में बदलने का मुहिम चलाया. जब इस काम में पैसों की कमी आई आने लगी, तो सरपंच प्रह्लाद पाटिल ने लोगों को श्रमदान के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे-धीरे पूरे गांव में यही तरीका अपनाया गया. इसका फायदा ये हुआ कि जो गांव कुछ साल पहले तक टैंकर के पानी पर निर्भर था, वहां के लोग अब पानी की जरूरतों के लिए भूजल का इस्तेमाल करते हैं. तेंभूरी से निकले इस आइडिया को नांदेड़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु काले ने पूरे जिले में लागू करने का निर्णय लिया और सोक पिट निर्माण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ दिया. इस योजना के तहत आने वाले पैसों से अब यहां सोक पिट का निर्माण भी कराया जा रहा है. इसके कारण यहां भूजल स्तर तो ठीक हुआ ही, इधर-उधर पानी जमा होने के कारण मच्छरों से पैदा होने वाली विमारियों में भी 75 फीसदी की कमी आ गई है. यहां के स्थानीय निवासी इस गट्टे को जादुई गट्टा कहते हैं.

जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में भी सोक पिट का प्रयोग शहरी आबादी को भ्रूषण जल रीचार्ज करने की सीख दे रहा है. जमशेदपुर प्रखंड के कनईह, सरजादा, गददा, तालमा, पुड़ीहासा, सुंदरमार जैसे कई इलाकों में सार्वजनिक नालियां बन नहीं आती हैं. कारण है, सोक पिट का प्रयोग. गिरता भूजल स्तर सिर्फ महाराष्ट्र के नांदेड़, बिहार के सीतामढ़ी या जमशेदपुर की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या पूरे देश को अपनी जद में ले रही है. भूजल स्तर 1 से 1.5 प्रतिवर्ष के हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है. इसलिए जरूरत है कि ससमय इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रयास किया जाय. सोक पिट इसके लिए आसान और कारगर उपाय हो सकता है.





प्रियंका चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपनी छवि बना ली है. अब वे विश्वभर से रंगभेद और जातिगत भेदभाव को मिटाने की मुहिम से भी जुड़ गई हैं. एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के जरिए वे लोगों को इन मुद्दों के प्रति न सिर्फ संवेदनशील बनाना चाह रही हैं, बल्कि इस एड फिल्म से लोगों को एकजुट भी कर रही हैं. निदेशक एडवर्ड एनिमफुल के निदेशन में बनी *ड्रिजिंग द गैप* नाम की इस एड फिल्म का

निर्माण एक अमेरिकी परिधान ब्रांड के लिए किया गया है. इस विज्ञापन का मकसद है, सभी धर्मों और वर्णों के लोगों को साथ लाना. इस एड फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ क्रिस्टी ब्रिक्ले, मार्लस कैमले-बॉटसन, जोनाथन ग्राफ, फ्रेनांडा ली, ऐलेन रोजा, जैमिन सैंडर्स समेत कई कलाकार मौजूद हैं.

जब विवादों में फंसी प्रियंका चोपड़ा



प्रवीण कुमार

अभी 2017 का आधा साल ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है कि प्रियंका को कई बार अलग-अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है. गलत बातों को लेकर ट्रोल होने पर प्रियंका चोपड़ा को इन लोगों पर गुस्सा भी आता है. लेकिन प्रियंका उन लोगों में से हैं, जो कभी हार नहीं मानते और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं.

मि स वलर्ड प्रियंका चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री के साथ-साथ एक अच्छी गायिका भी हैं. वे सबसे ज्यादा फीस लेने वाली बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं. बॉलीवुड के साथ-साथ प्रियंका ने हॉलीवुड में भी भारत का नाम रौशन किया है. बॉलीवुड में प्रियंका ने अपने अभिनय से कई अवॉर्ड अपने नाम किया है. दुनियाभर में उनके करोड़ों फैन हैं. अब हॉलीवुड में काम करने के बाद उनके विदेशी फैंस की संख्या काफी बढ़ चुकी है. प्रियंका चोपड़ा भारत के साथ-साथ विदेशों में भी चर्चित सेलिब्रिटीज में से एक हैं. अमेरिका में प्रियंका चोपड़ा के टीवी शो *क्वांटिको* को अपार सफलता मिली है. उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म *बेवॉच* भी रिलीज हो चुकी है. हालांकि विदेशी और बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बेवॉच कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इससे प्रियंका के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई. ये भी सुनने में आया है कि प्रियंका को हॉलीवुड की एक और फिल्म ऑफर हुई है, जिसका नाम *ए किड*

लाइक जेक है. हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा. फिलहाल तो प्रियंका चोपड़ा कुछ दिनों की छुट्टी पर भारत आई हुई हैं. भारत आते ही प्रियंका ने एक बड़ा धमाका कर दिया है. इस देसी गर्ल ने भारत आते ही अपने फैंस को खुश करते हुए एक बायोपिक फिल्म साइन कर ली है. जी हां, ये कफ़म हो गया है कि, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की बायोपिक में नजर आने वाली हैं. पिछले एक साल से इस फिल्म के मेकर्स प्रियंका और उनकी टीम से बात कर रहे थे. लेकिन अब जाकर प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म करने के लिए हामी भरी है. डायरेक्टर प्रिया मिश्रा ने कफ़म किया है कि प्रियंका जल्द ही कल्पना चावला की बायोपिक में दिखाई देंगी. आपको बात है कि कल्पना ने पहली बार मिशन विरोध और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी. लेकिन 2003 में कल्पना चावला छह अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष यान हारसे का शिकार हो गई थीं.

एक तरफ जहां प्रियंका के करोड़ों फैंस हैं, जो उनकी दीवानगी के कायल हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं, जो प्रियंका को सोशल मीडिया के जरिए ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते. अभी 2017 का आधा साल ठीक से खत्म भी नहीं हुआ है कि प्रियंका को कई बार अलग अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है. गलत बातों को लेकर ट्रोल होने पर प्रियंका चोपड़ा को इन लोगों पर गुस्सा भी आता है. लेकिन प्रियंका उन लोगों में से हैं, जो कभी हार नहीं मानते और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं. ट्रोल होने पर प्रियंका ने भी ऐसा ही किया और जो लोग उनको अपने निशाने पर लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्हें कड़ा जवाब देते हुए बता दिया कि ये उनकी जिंदगी है और उन्हें अपनी जिंदगी में क्या-क्या करना ये कोई आइए जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में प्रियंका किन-किन वजहों से सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई. ■

feedback@chauthiduniya.com

1 नाक की सर्जरी के लिए ट्रोल हुई प्रियंका

ह ल ही में प्रियंका ने मुंबई में लैंड करने से पहले की अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इस दौरान तस्वीर में प्रियंका की नाक को लेकर सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया गया. ट्रोलर्स (सोशल मीडिया पर खिचाई करने वाले लोग) का कहना है कि प्रियंका ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है. दरअसल, देसी गर्ल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर फैंस ने अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ शरारती फैंस ने उनकी इस तस्वीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. प्रियंका ने अपनी जो सेंफ़ी पोस्ट की है, वो बहुत करीब से ली गई थी, इसमें उनकी नाक कुछ अजीब सी लग रही है. इसे देखकर फैंस को लगा कि उन्होंने नाक की सर्जरी कराई है. बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने कमेंट कर उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने फिर से अपनी नाक की सर्जरी करवाई है. एक फॉलोअर ने तो उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि आपकी नाक अब बहुत बड़ी दिख रही है. खैर प्रियंका ने सर्जरी करवाई है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी इस तस्वीर को लाखों लाइक्स मिल चुके हैं. ■



2 पीएम मोदी से मुलाकात

ब लिन में जब प्रियंका चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो उन्हें नहीं पता था कि पीएम मोदी से हुई उनकी मुलाकात उनकी उनकी ड्रेस को चर्चित हो जाएगी और सोशल मीडिया पर उनकी ड्रेस को लेकर बड़ा बवाल हो जाएगा. जी हां, प्रियंका ने जब पीएम मोदी से बर्लिन में मुलाकात की, तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए फेसबुक और ट्वीटर पर तस्वीरें पोस्ट कीं और साथ ही लिखा, *नरेंद्र मोदी सर शुक्रिया, वक्त निकालकर मुझसे मिलने के लिए. कितना अच्छा संयोग है कि हम बर्लिन में एक साथ मौजूद हैं.*

सोशल मीडिया इन दो हरितियों की मुलाकात का जश्न मना रही थी और कहा जा रहा था कि भारत का नाम रौशन करने वाले दो बड़े नाम एक साथ एक फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हैं. लेकिन तभी, कुछ यूजर्स ने प्रियंका के कपड़ों और उनके बूटों के तरीके पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी. ये मुद्दा आगे चलकर बड़े ट्रोल में बदल गया. कई यूजर्स ने प्रियंका को नसीहत दे डाली कि कम से कम प्रधानमंत्री के सामने तो ठीक से कपड़े पहनकर जायें. ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है.

जब सोशल मीडिया पर ये बात काफी बढ़ गई, तो प्रियंका ने यूजर्स को कड़ा जवाब देते हुए लिखा कि ये उनकी मर्जी है कि वे क्या पहनें और किसी के सामने कैसे बैठें. ये उनकी जिंदगी है, जिसमें किसी को कोई दुखल देने की जरूरत नहीं है. इसके दूसरे दिन प्रियंका ने अपनी माँ के साथ एक शॉर्ट ड्रेस में बैठी हुई तस्वीर भी शेयर की, ताकि यूजर्स की अकल ठिकाने आ सके. इस पर सनी लियोनी सहित कई हस्तियों ने प्रियंका चोपड़ा का समर्थन किया. वहीं, इस मामले में अमिताभ बच्चन सहित कई सेलिब्रिटी टिप्पणी करने से बचते नजर आए. अमिताभ ने इस मामले पर टिप्पणी करने से बचते हुए इंकार कर दिया था कि न तो वे प्रधानमंत्री हैं और न ही प्रियंका चोपड़ा. ■



3 मेट गाला 2017 रेड कार्पेट

वै से तो प्रियंका चोपड़ा अपनी खूबसूरती और अच्छे ड्रेस सेंस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन इस बार मेट गाला 2017 रेड कार्पेट में प्रियंका अपनी ड्रेस को लेकर चर्चा में रहीं. प्रियंका चोपड़ा न्यूयॉर्क में हुए मेट गाला 2017 के रेड कार्पेट पर जलवे बिखिलते हुए नजर आईं. दरअसल, प्रियंका के गाउन का कपड़ा इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरे ड्रैप में कुछ असिस्टेंट इसे संभालते नजर आए. प्रियंका के इस इंटरनेशनल लुक को काफी लोगों ने पसंद भी किया. लेकिन कुछ लोगों को ये ड्रेस काफी अजीब लगी. बस फिर क्या था, प्रियंका की इतनी बड़ी ड्रेस को लेकर ट्वीटर पर एक यूजर ने ट्रोल करना शुरू कर दिया.

एक यूजर ने लिखा कि इन दिनों प्रियंका ज्यादा ऊंचा उड़ रही हैं और सुरक्षा के लिए वे अपना पैराशूट साथ लेकर आई हैं. तो वहीं एक दूसरे ने प्रियंका चोपड़ा की इस ड्रेस की तुलना झाड़ू से कर दी. ■



4 बिकिनी विवाद

प्रि यंका चोपड़ा जब अपनी हॉलीवुड फिल्म *बेवॉच* के प्रमोशन में व्यस्त थीं, उसी दौरान वे कुछ समय निकालकर मियामी में रिलेक्स करने गई थीं. जहां उन्होंने बीच पर एन्जॉय करते हुए बिकिनी पोज दिए, जो काफी वायरल हुआ. प्रियंका ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कीं, जिसमें वे डाक ब्लू बिकिनी में नजर आ रही थीं. उनके कई फैंस ने उनके इस हॉट अवतार की तारीफ भी की, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स प्रियंका की इन तस्वीरों को ट्रोल करके उनको नसीहत देने लगे. ■

